स्वमित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा

SURVEY OF VILLAGES AND MAPPING WITH IMPROVISED TECHNOLOGY IN VILLAGE AREAS

पंचायती राज

पंचायती राज मंत्रालय

भारत सरकार

स्वमित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा

SURVEY OF VILLAGES AND MAPPING WITH IMPROVISED TECHNOLOGY IN VILLAGE AREAS

दिशानिर्देश (2020)

पंचायती राज

विषयसूची

1. योजना का औचित्य 1
   1.1. प्रस्तावना 1
   1.2. योजना की आवश्यकता 1
2. योजना के उद्देश्य और कवरेज 3
   2.1. योजना के उद्देश्य 3
   2.2. कवरेज 3
   2.3. कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रवाह 4
3. योजना के घटक 5
   3.1. योजना के तहत शामिल किए जाने वाले घटकों की संक्षिप्त रूपरेखा: 5
   3.2. योजना घटकों का विवरण 6
      3.2.1. सतत प्रचालन संदर्भ प्रणाली (कोर्स) नेटवर्क की स्थापना 6
      3.2.2. ड्रोन का उपयोग करते हुए वृहद स्तर पर मानचित्र 7
      3.2.3. सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) पहलें 9
      3.2.4. स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग ''ग्राम मानचित्र'' का संवर्धन 10
      3.2.5. ऑनलाइन निगरानी प्रणाली 10
      3.2.6. परियोजना प्रबंधन 10
4. वित्तीय परिव्यय और घटकों का वित्तपोषण प्रतिमान 12
   4.1. वित्तीय परिव्यय और घटकों का वित्तपोषण प्रतिमान 12
   4.2. निधि संवितरण हेतु मापदंड 15
5. सर्वेक्षण दृष्टिकोण 18
   5.1. सर्वेक्षण पद्धति 18
      5.1.1. सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ 18
      5.1.2. सर्वेक्षण गतिविधियाँ 19
      5.1.3. सर्वेक्षण-पश्चात गतिविधियां 19
6. हितधारकों – भूमिका एवं उत्तरदायित्व 21
   6.1. पंचायती राज मंत्रालय 21
   6.2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग 21
   6.3. राज्य राजस्व विभाग 23

6.4. राज्य पंचायती राज विभाग..... 24
6.5. ग्राम पंचायत..... 25
6.6. सम्पत्ति का मालिक 25
6.7. एनआईसी- जीआईएस 25
6.8. भूमि रिकॉर्ड का राज्य विभाग 26
6.9. संयुक्त उत्तरदायित्व (राज्य और भारतीय सर्वेक्षण विभाग)..... 26
7. गतिविधियां मैपिंग..... 27
7.1. गतिविधियों/वितरण योग्य/प्रदेय मदों की सूची- हितधारक मानचित्रण 27
8. निगरानी और मूल्यांकन..... 36
8.1. कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र..... 36
8.1.1. राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी)..... 36
8.1.2. राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू)..... 38
8.1.3. राज्य संचालन समिति (एसएससी) 39
8.1.4. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसएमपीयू)..... 40
8.1.5. जिला निगरानी और समीक्षा समिति (डीएमआरसी) 41
8.2. ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड 41
9. वितरण योग्य 44
9.1. वितरण योग्य आइटमों की सूची..... 44
9.2. डेटा का स्वामित्व 45
9.3. वर्ष–वार कवरेज 47
10. आईटी अवसंरचना, हार्ड वेयर और सॉफ्टवेयर..... 50
10.1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) लैब में सर्वेक्षण के बाद डाटा प्रोसेसिंग: 50
10.2. राज्य सरकार से बुनियादी ढांचे की जरूरत है 50
10.3. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा 51
11. लागत मानदंड..... 52
11.1. सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना..... 52
11.2. ड्रोन का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर मानचित्रण 53
11.3. कार्यक्रम प्रबंधन इकाई 54
11.4. आईईसी गतिविधियां 55
11.5. स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग में वृद्धि/ परिष्कार/ सुधार और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का विकास56
12. संपत्ति डेटा और नक्शों का भविष्य में अद्यतनीकरण 57

12.1. संपत्ति डेटा का अद्यतनीकरण 57
12.2. नक्शा डेटा का अद्यतनीकरण 57
12.3. भावी अद्यतनीकरण 57
13. तकनीकी गाइडलाइन / दिशानिर्देश **58**
13.1. जीआईएस डेटाबेस का मानकीकरण 58
13.2. प्रतीक विद्या 58
अनुबंध **59**
अनुबंध I: पायलेट चरण में शामिल गांवों की राज्य वार संख्या 59
अनुबंध II : राज्य वार सीओआरएस स्थिति 60
अनुबंध III : राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, उपयोगकर्ता लाभार्थियों या निजी पक्षों द्वारा वित्त पोषित घटक 61
अनुबंध IV: परामर्शी के लिए संदर्भ शर्तें 62
अनुबंध V: नमूना संपत्ति डेटा 65
अनुबंध VI: सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दी गई गतिविधि वार समय-सीमा 66
अनुबंध VII : एसओपी करनाल जिला, हरियाणा द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण के लिए तैयार 67

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR

सत्यमेव जयते

कृषि एवं किसान कल्याण,
ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

MINISTER OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE,
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

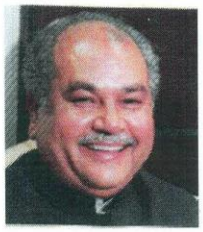

संदेश

"ग्रामोदय से भारत उदय" भारत सरकार की सभी नीतियों और कार्यक्रमों में एक केन्द्रीय विषय रहा है।

वर्ष 2022 तक महात्मा गांधी के आदर्श गांव के सपने को साकार करने का हमने संकल्प लिया है। साथ ही, देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने को हैं। इस अवसर पर उन्नत तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का सर्वेक्षण एवं मापन करने से संबंधित **"स्वामित्व"** स्कीम का शुभारंभ किया जा रहा है।

"स्वामित्व" स्कीम ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गांव में गांववासी को उसके मकान का 'मालिकाना हक' प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी। यह स्कीम निम्नलिखित दो प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगी:-

क- ग्रामीण आबादी स्थित स्थाई परिसम्पत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने हेतु सक्षम बनाएगी ; और

ख- परिसम्पत्ति और कर-संग्रहण रजिस्टर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की अवसंरचना के योजनाबद्ध विकास और मांग आकलन प्रकि□या को सुदृढ़ बनाएगी।

मैं पंचायती राज मंत्रालय की टीम को यह विस्तृत दिशा-निर्देश बहुत कम समय में तैयार करने के लिए बधाई देता हूं और आने वाले वर्षों में राज्यों और पंचायतों में परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi- 110001, Tel.: 011-23782373, 23782327 Fax: 011-23385876
Resi.: 3 Krishna Menon Marg, New Delhi-110001, Ph.: 011-23794697 / 98, Fax: 011-23794696

संक्षिप्तीकरण

कॉर्स (CORS)	सतत संचालन संदर्भ प्रणाली
डीईएम	डिजिटल ऊंचाई मॉडल
डीजीसीए	नागर विमानन महानिदेशालय
डीआईएल आरएमपी	डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम
डीओएल आर	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि अभिलेख विभाग
डीआर	डिजास्टर रिकवरी
डीटीएम	डिजिटल टेरेन मॉडल
जीसीपीएस (GCPs)	ग्राउंड कंट्रल पॉइंट्स
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास योजना
जीएसडी	ग्राउंड सैम्पलिंग दूरी
जीएसएम	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
एलपीएम	लैंड पार्सल मैप्स
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एनपीएमयू	राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
ओजीसी	ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम
ओआरआई	ऑर्थो-रेक्टिफ़ाइड छवियां
पीपीके	पोस्ट प्वाइंट किनेमेटिक
आरजीबी	लाल हरा नीला
आरटीके	रियल टाइम किनेमेटिक
एसओआई	सर्वे ऑफ इंडिया
एसपीएमयू	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
यूएवी	मानव रहित हवाई वाहन
यूपीएस	निर्बाध बिजली आपूर्ति
यूटी	केन्द्र शासित प्रदेश/ संघ राज्य क्षेत्र
यूटीएम	यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर
डब्ल्यूजीएस 84	वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 1984
आबादी क्षेत्र	आबादी क्षेत्र में वास भूमि तथा ग्रामीण आबाद क्षेत्रों के आसपास स्थित वाडी / बस्ती शामिल हैं।

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्र में भूमि खण्डों के सर्वेक्षण के लिए एक योजना लागू करने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण चार साल (2020-2024) की अवधि में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

यह योजना केंद्रीय योजना के रूप में प्रस्तावित है जिसका शीर्षक "स्वामित्व" है, जिसमें पायलट चरण के लिए 79.65 करोड़ रुपये का अनुमानित परिव्यय है (वित्तीय वर्ष 2020 -21)|

इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में राजस्व / संपत्ति रजिस्टर में रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स 'को अपडेट करना और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना शामिल हैं। इससे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा होगी। इसके अलावा, यह संपत्ति कर के स्पष्ट निर्धारण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, जो ग्राम पंचायत को बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए प्रेरित करेगा।

निम्नलिखित हितधारक इस योजना को पूरा करने में शामिल होंगे:

i. नोडल मंत्रालय (पंचायती राज मंत्रालय), भारत सरकार।
ii. भारत का सर्वेक्षण (प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी)
iii. राज्य का राजस्व विभाग
iv. राज्य पंचायती राज विभाग
v. स्थानीय जिला अधिकारी।
vi. सम्पत्ति का मालिक
vii. ग्राम पंचायत (GP)
viii. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) - जीआईएस डिवीजन
ix. ग्रामीण आबाद क्षेत्रों (यदि कोई हो) में संपत्ति धारक अन्य सम्बंधित विभाग (व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए)।

निगरानी उद्देश्य के लिए, एक तीन-परत निगरानी और मूल्यांकन ढांचा रखा जाएगा, ताकि नियमित निगरानी, रिपोर्टिंग और पाठ्यक्रम सुधार (जहां भी आवश्यक हो) किया जाता रहे।

1. योजना का औचित्य

1.1. प्रस्तावना

भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना **''स्वामित्व''** का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। आबादी क्षेत्रों (आबादी क्षेत्र में वास भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी और वाड़ियों/बस्तियों के समीप बसे हुए इलाके शामिल हैं) का सीमांकन पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए किया जाएगा।

इससे गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रहने वाले गांव के गृहस्वामियों को 'अधिकार अभिलेख' उपलब्ध कराया जाएगा, जो उन्हें बैंकों से ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा, यह ग्राम पंचायतों की कर संग्रह और मांग मूल्यांकन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए संपत्ति और परिसंपत्ति रजिस्टर के अपडेशन को भी सक्षम करेगा। इस प्रकार, संपत्ति धारकों का कानूनी रिकॉर्ड और उनके आधार पर गृहस्वामियों को 'संपत्ति अभिलेख' जारी करने से ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं की खरीद के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का मौद्रिकीकरण सुविधाजनक बनेगा। यह संपत्ति कर के स्पष्ट निर्धारण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां ये विकसित हैं।

व्यक्तिगत ग्रामीण संपत्ति के सीमांकन के अलावा, अन्य ग्राम पंचायत और सामुदायिक संपत्ति जैसे गांव की सड़कें, तालाब, नहरें, खुले स्थान, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य उप-केंद्र आदि का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और जीआईएस मानचित्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा, ये जीआईएस नक्शे और स्थानिक डेटाबेस ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के लिए सटीक कार्य अनुमान तैयार करने में भी मदद करेंगे। इनका उपयोग बेहतर-गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है।

1.2. योजना की आवश्यकता

बंदोबस्त और अधिकार अभिलेख के लिए भारत में ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण लगभग 70 साल पहले पूरा हो गया था और इसके अलावा, कई राज्यों में गांवों के आबादी (आबाद) क्षेत्र का सर्वेक्षण/मानचित्रण नहीं किया गया था। इसलिए, एक कानूनी दस्तावेज के अभाव में, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामी ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा स्वीकार्य

एक वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, गृहस्वामी को संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए, चित्रों को ग्रहण करने के लिए नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी और निरंतर प्रचालन संदर्भ स्टेशन (कोर्स) तकनीक आवश्यक है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) एयरबोर्न-फ़ोटोग्राफ़ी, सैटेलाइट इमेजरीज (स्टीरियो/मोनो), एयरबोर्न-एलआईडीएआर, उच्च रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरीज (एचआरएसआई), मानवरहित वायु वाहन (यूएवी) या ऑप्टिकल/इन्फ्रा-रेड/एलआईडीएआर सेंसर वाले ड्रोन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए उपयोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न पैमानों पर स्थलाकृतिक मानचित्रण के लिए उदीयमान प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सभी पैमानों पर राष्ट्रीय स्थलाकृतिक डेटाबेस तैयार करता है। राजस्व, शहरी और जल संसाधनों की आवश्यकताओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पर उच्च रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण पिछले 3-4 वर्षों से अग्रणी स्तर पर है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ड्रोनों का उपयोग करते हुए बहुत उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले हवाई चित्र प्राप्त करने और 1.500/1,000 पैमाने में बहुत बड़े पैमाने के मानचित्र तैयार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पिछले 1-2 वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि के साथ मुख्य रूप से मालिकाना हक प्रदान करने के लिए राजस्व नक्शे के रूप में उपयोग के लिए साझेदारी में ग्रामीण बस्तियों का मानचित्रण किया गया है। इन नक्शों या आंकड़ों के आधार पर, **महाराष्ट्र सरकार द्वारा सोनारी गांव और हरियाणा सरकार द्वारा सिरसी गांव के नागरिकों के लिए संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं।** उच्च रिज़ॉल्यूशन और सटीक चित्र आधारित मानचित्रों ने कोई विरासत राजस्व रिकॉर्ड विहीन इन क्षेत्रों में संपत्ति विरासत के सबसे टिकाऊ रिकॉर्ड के निर्माण की सुविधा प्रदान की है।

2. योजना के उद्देश्य और कवरेज

2.1. योजना के उद्देश्य

योजना में निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने का लक्ष्य है : -

i. ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना।
ii. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना।
iii. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां ये विकसित हैं या, राज्य कोषागार को प्राप्त होगा।
iv. सर्वेक्षण की अवसंरचना और जीआईएस नक्शों का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जा सकता है।
v. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहयोग देना।
vi. संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना।

2.2. कवरेज

देश में लगभग 6.62 लाख गांव हैं जो अंततः इस योजना में शामिल होंगे। पूरा कार्य चार साल की अवधि में किए जाने की संभावना है। वर्तमान में, वर्ष 2020-21 के लिए पायलट चरण का अनुमोदन किया जा रहा है। पायलट चरण लगभग छह प्रमुख राज्यों (हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में लगभग 1 लाख गांवों तक विस्तारित होगा और दो राज्यों (पंजाब और राजस्थान) के लिए सीओआरएस नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। पायलट चरण के तहत शामिल गांवों की राज्यवार संख्या के लिए **अनुलग्नक-I** देखें। संबंधित राज्य सरकार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय गांवों की सूची को अंतिम रूप देगी।

** उन राज्यों के लिए, जो पहले ही आबादी सर्वेक्षण कर चुके हैं, राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के परामर्श से चरण II में (पायलट पश्चात चरण) सर्वेक्षण का दायरा और प्रक्रिया तय की जाएगी।*

2.3. कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रवाह

योजना का संक्षिप्त कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रवाह नीचे दर्शाया गया है:

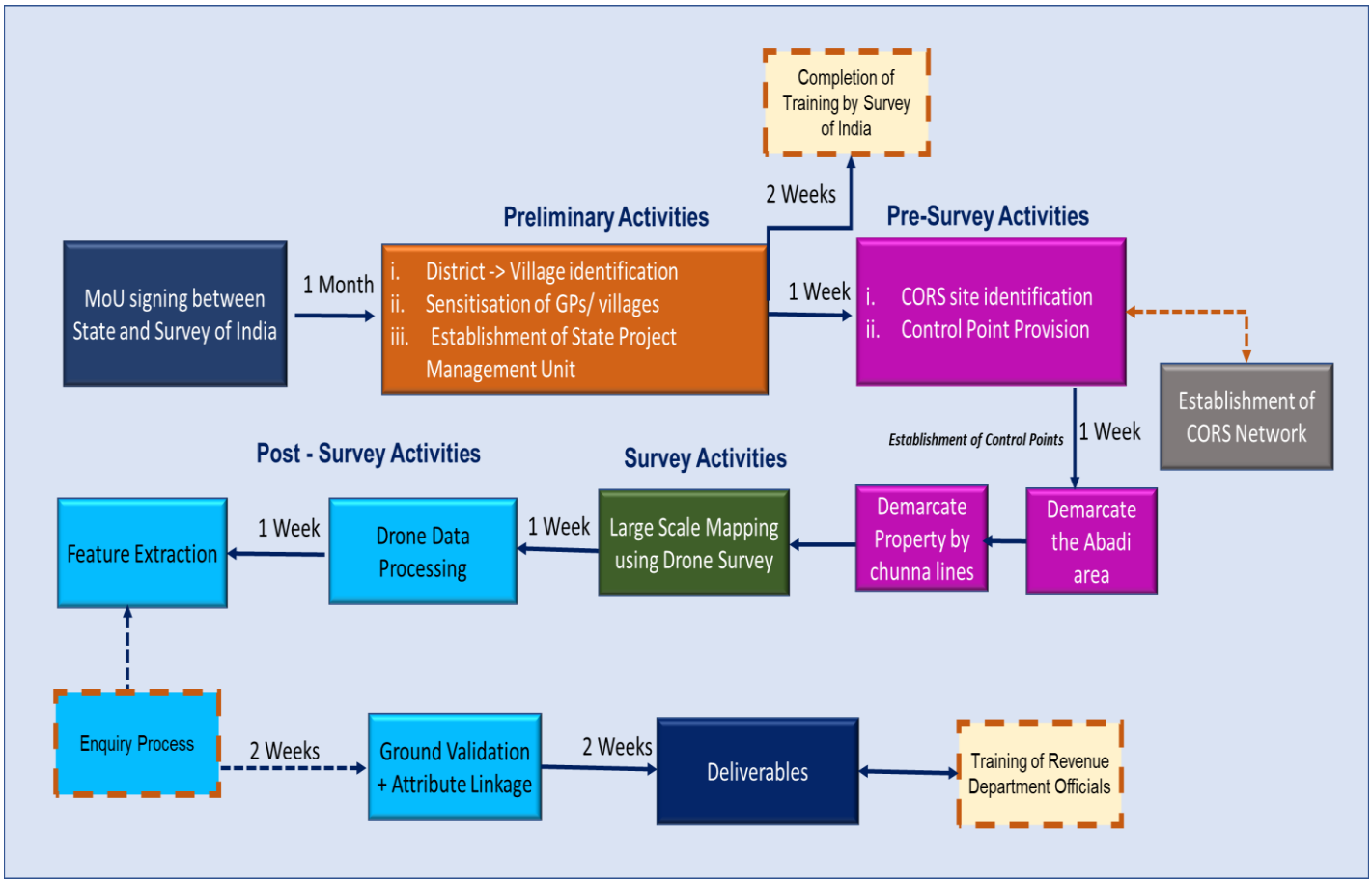

** चित्रित समय सीमा संकेतात्मक है।*

3. योजना के घटक

3.1. योजना के तहत शामिल किए जाने वाले घटकों की संक्षिप्त रूपरेखा:

क्र. सं.	योजना घटक	संक्षिप्त विवरण*
1	सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना	सतत प्रचालन संदर्भ स्टेशन (कोर्स) संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक आभासी आधार स्टेशन प्रदान करता है जिससे लंबी दूरी की उच्च सटीकता वाले नेटवर्क आरटीके सुधारों का अभिगम प्राप्त होता है। कोर्स नेटवर्क भूमि नियंत्रण बिंदुओं की स्थापना में सहायता करता है, जो भू-संदर्भन, भू-सत्यता और भूमि के सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है।
2	ड्रोन का उपयोग करते हुए वृहद स्तर पर मानचित्रण (एलएसएम)	भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण आबाद (अबादी) क्षेत्र का मानचित्रण किया जाएगा। यह संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए उच्च रिजॉल्यूशन और सटीक नक्शे तैयार करेगा। इन नक्शों या आंकड़ों के आधार पर, ग्रामीण गृहस्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे।
3	आईईसी कार्यकलाप	ग्रामीण आबादी को सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में परिचित कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम
4	स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग ''ग्राम मानचित्र'' का संवर्धन	जीपीडीपी तैयार करने में सहयोग के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के निर्माण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा/नक्शे का लाभ उठाया जाएगा।
5	ऑनलाइन निगरानी प्रणाली	ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करेगा।.
6	कार्यक्रम प्रबंधन एकक i. राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन एकक (एनपीएमयू) i. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन एकक (एसपीएमयू)	योजना का कार्यान्वयन नियमित विभागीय तंत्रों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन एककों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

** विस्तृत विवरण नीचे खंड 3.2 में देखा जा सकता है*

3.2. योजना घटकों का विवरण

3.2.1. *सतत प्रचालन संदर्भ प्रणाली (कोर्स) नेटवर्क की स्थापना*

सतत संचालन संदर्भ स्टेशन संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक आभासी आधार स्टेशन उपलब्ध कराता है जो लंबी रेंज की उच्च सटीकता वाले नेटवर्क आरटीके सुधारों का अभिगम प्रदान करता है। आरटीके नेटवर्क संदर्भ स्टेशनों के नेटवर्क वाले एक बड़े क्षेत्र में आरटीके का उपयोग विस्तारित करते हैं। कोर्स नेटवर्क में सटीकता बढ़ जाती है, क्योंकि एक से अधिक स्टेशन एक ही आधार स्टेशन के झूठे आरंभीकरण के बारे में सही स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। रीयल टाइम कीनेमेटिक (आरटीके) पोजिशनिंग एक उपग्रह दिक्चालन तकनीक है जिसका उपयोग उपग्रह-आधारित पोजिशनिंग सिस्टम से प्राप्त स्थिति डेटा की सटीकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कोर्स नेटवर्क की स्थापना, जिओड मॉडल तैयार करेगा और कोर्स नेटवर्क स्टेशनों के संचालन और रखरखाव और 5 साल के लिए कोर्स नेटवर्क सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा। कोर्स नेटवर्क बिना किसी शुल्क या बहुत मामूली शुल्क पर लाइसेंस के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार के विभाग के लिए उपलब्ध होगा ।

कोर्स नेटवर्क स्थापित करने के मुख्य कार्यकलापों में शामिल हैं:

i. कोर्स स्टेशनों के सिविल निर्माण कार्य, स्थापना और चालू करने की आउटसोर्सिंग के लिए निविदा प्रक्रिया को पूरा करना
ii. कोर्स स्टेशनों के लिए साइट चयन और टोह
iii. आउटसोर्स एजेंसी द्वारा सिविल निर्माण कार्य
iv. आउटसोर्स एजेंसी द्वारा कोर्स स्टेशनों की स्थापना और चालू करना
v. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा नियंत्रण केंद्र और आपदा बहाली (डीआर) की स्थापना
vi. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोर्स नेटवर्क का प्रचालन और रखरखाव
vii. कोर्स नेटवर्क-आधारित उपयोगों या अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

कोर्स नेटवर्क का लाभ

i. कोर्स नेटवर्क ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की स्थापना में सहायता करता है, जो भू-संदर्भित, भू-टूटिंग और भूमि के सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।

ii. एक बार कोर्स नेटवर्क स्थापित हो जाने के बाद, इसका उपयोग किसी भी राज्य एजेंसी / विभाग अर्थात राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, जल निकासी और नहर, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य विभाग आदि द्वारा जीआईएस आधारित अनुप्रयोगों के सर्वेक्षण और कार्यान्वयन / उपयोग के लिए किया जा सकता है।

iii. यह किसी भी सर्वेक्षण से संबंधित गतिविधियों जैसे सड़क निर्माण, सिंचाई कार्यों और बुनियादी ढांचे के कार्यों आदि के लिए कोर नेटवर्क का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेगा।

iv. योजना के पायलट चरण के तहत स्थापित कोर नेटवर्क अन्य पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी कवर करेगा। इसलिए, इन क्षेत्रों पर सटीक भू-संदर्भ भी संभव हो सकता है। पंजाब और राजस्थान राज्य के लिए कोर नेटवर्क को पायलट चरण (2020-2021) के तहत स्थापित किया जाएगा। कोर नेटवर्क की स्थिति के लिए अनुबंध II देखें।

v. योजना के अगले चरण के लिए, पायलट चरण के दौरान स्थापित कोर नेटवर्क के माध्यम से पहले से ही कवर किए गए राज्य और उसके पड़ोसी क्षेत्र सीधे जमीन सर्वेक्षण के साथ शुरू करने में सक्षम होंगे।

3.2.2. *ड्रोन का उपयोग करते हुए वृहद स्तर पर मानचित्र*

स्वामित्व संपत्ति अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व नक्शे तैयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्य राजस्व विभाग के सहयोग से ग्रामीण बस्ती (आबादी) क्षेत्र का मानचित्रण किया जाएगा। इन नक्शों या आंकड़ों के आधार पर, आबादी क्षेत्र में ग्रामीण गृहस्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। उच्च रिज़ॉल्यूशन और सटीक चित्र आधारित नक्शे, विरासत राजस्व रिकॉर्ड रहित क्षेत्रों में संपत्ति धारण के अधिक टिकाऊ अभिलेख के निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे। मुख्य कार्यकलापों में शामिल हैं:

i. चित्रों का अधिग्रहण

क. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन का प्रापण

ख. ड्रोन उड़ाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय इत्यादि से अनुमति या स्वीकृति

ग. समीपवर्ती भूमिधारकों को नोटिस जारी करके आबादी क्षेत्र का सीमांकन

घ. सफेद खड़िया पाउडर (चूना इत्यादि) इस्तेमाल करते हुए सर्वेक्षण किए जाने वाले क्षेत्र में टुकड़ों/संपत्तियों का चिन्हांकन

ङ. उपलब्ध नक्शों/उपग्रह इमेजरी डेटा का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन उड़ाने के लिए मिशन नियोजन

च. नियंत्रण और जांच बिंदुओं का प्रावधान: -
भूमि नियंत्रण बिंदुओं (जीसीपी) क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नियंत्रण की स्थापना, सभी नियंत्रण बिंदुओं के स्थान, रेखाचित्र, विवरण और आईडी को जीआईएस में रखना चाहिए और अक्षांश/देशांतर की दोनों प्रणाली और डब्ल्यूजीएस-84 और कोर्स नेटवर्क के माध्यम से यूटीएम समन्वय प्रणाली जोन में रखना आवश्यक है

छ. ड्रोन या यूएवी (मानवरहित हवाई वाहन) का उपयोग करके ग्रामीण बसावट क्षेत्र (आबादी) का व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड यूएवी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण किया जाएगा क्योंकि ये यूएवी आरटीके (रियल टाइम किनेमैटिक) /पीपीके (पोस्ट प्वाइंट किनेमैटिक) सक्षम हैं और उड़ान के दौरान प्राप्त किए गए चित्र का सटीक प्रोजेक्शन केंद्र और अभिमुखीकरण प्रदान करने के लिए 5 सेमी जीएसडी ± 12.5 सेमी से बेहतर छवि ग्रहण सहित 1:500 पैमाने पर या बेहतर प्लानमेट्री सटीकता पर उच्च रिजोल्यूशन आरजीबी सेंसर का उपयोग करते हैं।

ज. ड्रोनों, डेटा प्रसंस्करण ब्लॉक नियंत्रण और समायोजन-एटी((नभस्थ त्रिभुजन)/ डीईएम(डिजिटल एलीवेशन मॉडल) सृजन और डीटीएम (डिजिटल टेरेन मॉडल) प्रसंस्करण और अन्य ऑर्थो-ऑर्थो-रेक्टिफाइड चित्रों (ओआरआई) से प्राप्त डेटा का प्रसंस्करण

ii. फीचर निष्कर्षण और आधार मानचित्र सृजन:

क. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सभी स्थलाकृतिक फीचर्स के निष्कर्षण के लिए ओआरआई का उपयोग किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत और राज्य के राजस्व विभाग यानी ग्राम निवासियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भूमि में चिन्हित संपत्ति सीमाएं शामिल हैं। राज्य राजस्व विभाग और राज्य पंचायती राज विभाग सुविधाओं या परिसंपत्तियों जैसे खुले भूखंडों, सरकार के स्वामित्व की भूमि, ग्राम सभा के स्वामित्व की संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्तियों की पहचान के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) फीचर निष्कर्षण टीम को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा।

ख. डिजिटल नक्शे पर राज्य राजस्व विभाग की अपेक्षा के अनुसार 2डी/3डी फीचर्स निष्कर्षण और विशिष्टताओं का सीमांकन

ग. जीआईएस डेटाबेस में ओजीसी (खुली भूस्थैतिक कंसोर्टियम) के अनुकूल विशेषता सूचना और अन्य माध्यमिक जानकारी का समावेश

घ. डीईएम का सृजन और 1:500 के पैमाने पर भूमि खंडों के नक्शे तैयार करना

ङ. राज्य राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गई संख्या प्रणाली के अनुसार लाल डोरा क्षेत्र के भीतर संपत्तियों/संरचनाओं की संख्याकन।

iii. सटीकता के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ओआरआई और डिजिटल नक्शों का भू सत्यापन।

iv. भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य के राजस्व विभाग द्वारा सहयोग से भू-खंड नक्शों का भू-सत्यांकन और सत्यापन

v. अंतिम एलपीएम (लैंड पार्सल मैप्स), गांव के नक्शों/डिजिटल जीआईएस नक्शों और जीआईएस डेटाबेस के वैधीकरण के बाद सत्यापन, सृजन

vi. राज्य के राजस्व विभाग और राज्य के ग्रामीण विकास/पंचायत राज विभाग को रक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित अंतिम डिलिवरेबल्स (अंतिम नक्शे और जीआईएस डेटाबेस) सौंपना। डिलिवरेबल्स में एक कार्यशील जीआईएस डेटाबेस और एप्लिकेशन शामिल होना चाहिए ताकि बाद में बिना किसी लाइसेंस शुल्क के डेटा का अद्यतनीकरण और डेटा का उपयोग संभव हो सके।

vii. पंचायती राज मंत्रालय को (एनआईसी-जीआईएस प्रभाग के माध्यम से) गांव के नक्शे और डिजिटल डेटाबेस सौंपना

viii. राज्य प्रशासन/राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति कार्ड जारी किया जाना

ix. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को व्यावहारिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण

3.2.3. *सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) पहलें*

ड्रोन सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए लोगों को जुटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का आईईसी अभियान चलाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस/सप्ताह के दौरान अभियान का संचालन, अच्छी प्रथाओं का प्रसार और सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से अन्य राष्ट्रीय अभियान शामिल होंगे।

सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में स्थानीय आबादी को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य सरकार व्यापक संचार कार्यनीति विकसित करेगी। ऐसी जागरूकता को सुविधाजनक बनाने के लिए, मैनुअल्स, फ्लिप बुक्स, पोस्टर, रोल प्ले, कठपुतली

शो, होर्डिंग, पर्चे वितरण, गांवों में सार्वजनिक घोषणा, सूचना दीवारों की तरह स्थायी प्रदर्शन, निश्चित दिनों में नागरिक सूचना काउंटर के रूप में संचार सामग्री विकसित की जा सकती है। अन्य कार्यकलापों में निम्न को शामिल किया जा सकता है:

i. पंचायतों द्वारा सर्वेक्षण और नवोन्मेषों पर अच्छी प्रथाओं, लघु फिल्मों का प्रदर्शन
ii. ग्राम सभा का संवेदीकरण और जुटाव
iii. सोशल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, सामुदायिक रेडियो का उपयोग, टेलीविजन चैनलों में विशेष कार्यक्रम/फीचर्स
iv. सर्वेक्षण और इसके लाभों के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए सांस्कृतिक कार्यकलाप, प्रदर्शनियां, मोबाइल वैन्स
v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिन्होंने परियोजना के कार्यान्वयन में काफी सफलता हासिल की है के अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्य समूह को अन्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एक्सपोजर दौरे पर भेजा जा सकता है।

3.2.4. *स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग ''ग्राम मानचित्र'' का संवर्धन*

जीपीडीपी तैयार करने के लिए जीआईएस नक्शों/तकनीक का लाभ उठाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग "ग्राम मानचित्र" का कार्यान्वयन किया गया है। ड्रोन सर्वेक्षण में प्रगति के साथ ही, ड्रोन सर्वेक्षण के तहत तैयार किए गए डिजिटल स्थानिक डेटा/नक्शों को जीपीडीपी तैयार करने में सहयोग के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के सृजन के लिए उपयोग किया जाएगा।

3.2.5. *ऑनलाइन निगरानी प्रणाली*

ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड को स्वामित्व स्कीम के वास्तविक समय की निगरानी के लिए केंद्रीय रूप से होस्ट किया जाएगा। यह योजना के तहत कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करेगा। राज्य परियोजना प्रबंधन एकक प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर/उपायुक्त से ऑनलाइन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

3.2.6. *परियोजना प्रबंधन*

योजना का कार्यान्वयन नियमित विभागीय तंत्रों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन एककों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

i. **राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन एकक (एनपीएमयू)** की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर समग्र प्रबंधन, योजना के तहत विभिन्न कार्यकलापों की निगरानी और राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सहायता प्रदान करने के लिए की जाएगी। एनपीएमयू में संबंधित डोमेन के योग्य और अनुभवी विशेषज्ञ होंगे। पंचायती राज मंत्रालय अल्पावधि सलाहकार भी नियुक्त कर सकता है और/या इसे पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स (एनपीएमयू) करने की छूट होगी। एनपीएमयू के मुख्य कार्यकलापों के विवरण के लिए खंड 8.1.2 देखें।

ii. **राज्य कार्यक्रम प्रबंधन एकक (एसपीएमयू)** की स्थापना राज्य स्तर पर समग्र प्रबंधन, योजना के तहत विभिन्न कार्यकलापों की निगरानी और राज्य के राजस्व विभाग, जिले के अधिकारियों, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सहायता प्रदान करने के लिए की जाएगी। एसपीएमयू में संबंधित डोमेन के योग्य और अनुभवी विशेषज्ञ होंगे। राज्य का राजस्व विभाग अल्पावधि सलाहकार भी नियुक्त कर सकता है और/या पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स (एसपीएमयू) करने के की छूट होगी। एसपीएमयू के मुख्य कार्यकलापों के विवरण के लिए खंड 8.1.4 देखें।

4. वित्तीय परिव्यय और घटकों का वित्तपोषण प्रतिमान

4.1. वित्तीय परिव्यय और घटकों का वित्तपोषण प्रतिमान

क्र.सं.	योजना घटक	निधि प्राप्तकर्ता/प्राथमिक कार्यान्वयनकर्ता	पायलट चरण के लिए परिव्यय (वि.व. 2020-21)	किस्तें	टिप्पणियां
1	**सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना**	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	पंजाब और राजस्थान राज्य में 101 कोर्स नेटवर्क की स्थापना सहित 24.24 करोड़	**1हली**(संबंधित राज्य के लिए चिन्हित कोर्स स्थापन के लिए कुल अनुमानित लागत का 50%)	भारतीय सर्वेक्षण विभाग और संबंधित राज्य के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर
				2सरी (संबंधित राज्य के लिए चिन्हित कोर्स स्थापन के लिए कुल अनुमानित लागत का बाकी 50%)	1हली किस्त के उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय विवरण के साथ (संदर्भ खंड 4.2) भौतिक प्रगति प्रस्तुत करने के आधार पर
2	**ड्रोन का उपयोग करते हुए वृहद स्तर पर मानचित्रण (एलएसएम)**	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	लगभग 1.01 लाख गांवों को शामिल करते हुए 48.50 करोड़ *(गांवों की राज्यवार सूची के लिए अनुलग्नक I देखें)*	**मोबिलाइजेशन लागत** (संबंधित राज्य को चिन्हित वृहद स्तरीय मानचित्रण के लिए कुल अनुमानित लागत का 30%)	पंचायती राज मंत्रालय को वार्षिक प्रस्ताव (कार्य योजना) प्रस्तुत करना
				1हली (संबंधित राज्य को चिन्हित वृहद स्तरीय मानचित्रण के लिए	सूचित अनुसार भौतिक प्रगति पर आधारित संवितरण (संदर्भ खंड 4.2)

क्र.सं.	योजना घटक	निधि प्राप्तकर्ता/प्राथमिक कार्यान्वयनकर्ता	पायलट चरण के लिए परिव्यय (वि.व. 2020-21)	किस्तें	टिप्पणियां
				कुल अनुमानित लागत का 30%)	
				2सरी (संबंधित राज्य को चिन्हित वृहद स्तरीय मानचित्रण के लिए कुल अनुमानित लागत का 40%)	1हली किस्त के उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय विवरण के साथ (संदर्भ खंड 4.2) भौतिक प्रगति प्रस्तुत करने के आधार पर संवितरण
3	**आईईसी कार्यकलाप**	राज्य राजस्व विभाग	4 करोड़	**1हली** (आईईसी कार्यकलापों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों के लिए चिन्हित कुल अनुमानित लागत का 50 %)	मांग/अनुमान/परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर अनुदान
				2सरी (आईईसी कार्यकलापों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों के लिए चिन्हित कुल अनुमानित लागत का बकाया 50 %)	उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय विवरण प्रस्तुत करने के आधार पर
4	**स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग ''ग्राम मानचित्र''**	एनआइसीएसआई के माध्यम से एनआईसी	1.5 करोड़	**1हली** (स्थानिक अनुप्रयोग और ऑनलाइन डैशबोर्ड के संवर्धन के लिए कुल अनुमानित	एनआईसी द्वारा वार्षिक प्रस्ताव प्रस्तुत (कार्य योजना) और एनआईसी, एनआईसीएसआई और पंचायती राज मंत्रालय के

क्र.सं.	योजना घटक	निधि प्राप्तकर्ता/प्राथमिक कार्यान्वयनकर्ता	पायलट चरण के लिए परिव्यय (वि.व. 2020-21)	किस्तें	टिप्पणियां
	का संवर्धन			लागत का 50%)	बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
5	**ऑनलाइन निगरानी प्रणाली**	एनआइसीएसआई के माध्यम से एनआईसी		**2सरी** (स्थानिक अनुप्रयोग और ऑनलाइन डैशबोर्ड के संवर्धन के लिए कुल अनुमानित लागत का बाकी 50%)	1हली किस्त के उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय विवरण को प्रमाणित करती हुई भौतिक प्रगति प्रस्तुत करने के आधार पर
6	**कार्यक्रम प्रबंधन एकक**				
6.1	राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन एकक	एनआइसीएसआई के माध्यम से एनआईसी	76 लाख	**1हली** (एनपीएमयू के लिए कुल अनुमानित लागत का 50%)	एनआईसी द्वारा वार्षिक प्रस्ताव प्रस्तुत (कार्य योजना) और एनआईसी, एनआईसीएसआई और पंचायती राज मंत्रालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
				2सरी (एनपीएमयू के लिए कुल अनुमानित लागत का बाकी 50%)	उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय विवरण प्रस्तुत करने के आधार पर
6.2	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन एकक	राज्य राजस्व विभाग	65 लाख	**1हली** (राज्य कार्यक्रम प्रबंधन एकक के लिए संबंधित राज्यों को चिन्हित कुल अनुमानित लागत	मांग/अनुमान/परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर अनुदान

क्र.सं.	योजना घटक	निधि प्राप्तकर्ता/प्राथमिक कार्यान्वयनकर्ता	पायलट चरण के लिए परिव्यय (वि.व. 2020-21)	किस्तें	टिप्पणियां
				का 50%)	
				2सरी (राज्य कार्यक्रम प्रबंधन एकक के लिए संबंधित राज्यों को चिन्हित कुल अनुमानित लागत का बकाया 50%)	उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय विवरण प्रस्तुत करने के आधार पर

ऊपर दर्शाया गया वित्तीय परिव्यय योजना के पायलट चरण तक सीमित है।

स्वामित्व योजना निधियों का जारीकरण और ट्रैकिंग संबंधी सभी लेनदेन केवल पीएफएमएस द्वारा ही किए जाएंगे। सभी जारी निधियां जीएफआर, 2017 के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।

4.2. निधि संवितरण हेतु मापदंड

पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन स्कीम के कार्यान्वयन के आधार पर होगा ।

विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी । एसओपी स्कीम के आवश्यक प्रारूप और कार्यान्वयन को मापने के लिए अन्य विवरण प्रदान करेगी।

घटक	किश्त	भुगतान जारीकरण की पूर्व शर्त	मुख्य निष्पादन संकेतक *
कोर्स नेटवर्क की स्थापना	1हली	एसओआई और संबंधित राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	

घटक	किश्त	भुगतान जारीकरण की पूर्व शर्त	मुख्य निष्पादन संकेतक *
	2सरी	कोर्स के लिए प्रगति का सक्षम प्राधिकारी) भारतीय सर्वेक्षण विभाग) द्वारा विधिवत सत्यापन किया गया और राज्य संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया।	एसओआई को निम्नलिखित मानकों पर प्रगति सूचना के आधार पर निधि वितरित की जाएगी i. स्थापित, संस्थापित और चालू किए गए कोर्स नेटवर्क की संख्या ii. कार्यात्मक कोर्स नेटवर्क की संख्या
ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मैपिंग (एलएसएम)	संघटन	एसओआई और संबंधित राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	
	1हली	सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित) एसओआई) और राज्य के अध्यक्ष संचालन समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ड्रोन का उपयोग कर बड़े पैमाने पर मानचित्रण)एलएसएम) की प्रगति	एसओआई को निम्नलिखित मानकों पर प्रगति सूचना के आधार पर निधि वितरित की जाएगी i. ड्रोन उड़ान पूरा करने वाले गांवों की संख्या ii. पूर्ण किए गए गाँवों के डेटा प्रोसेसिंग और बनाए गए नक्शों की संख्या iii. उन गाँवों की संख्या जिनके लिए जीआईएस डेटाबेस तैयार किया गया है iv. भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूरा किए गए सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
	2सरी	सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित) एसओआई) और राज्य के अध्यक्ष संचालन समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ड्रोन का उपयोग कर बड़े पैमाने पर मानचित्रण)एलएसएम) की प्रगति	
आईईसी	1हली	परियोजना प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण	केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रारूप पर
	2सरी	उपयोग प्रमाण पत्र व्यय / विवरण , पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विधिवत सत्यापित	कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और जागरूकता शिविरों का आयोजन
स्थानिक अनुप्रयोग में वृद्धि और ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड	1हली	एनआईसी, एनआईसीएसआई और पंचायती राज मंत्रालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	योजना , दीक्षा रिपोर्ट के अनुसार संसाधनों की तैनाती

घटक	किश्त	भुगतान जारीकरण की पूर्व शर्त	मुख्य निष्पादन संकेतक *
का विकास	2सरी	डीडीजी (एनआईसी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाण पत्र व्यय विवरण /	डशबोर्ड का सफल रखरखाव, नियोजन विश्लेषण का विकास
कार्यक्रम प्रबंधन इकाई			
एनएमपीयू	1हली	एनआईसी, एनआईसीएसआई और पंचायती राज मंत्रालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	योजना , दीक्षा रिपोर्ट के अनुसार संसाधनों की तैनाती
	2सरी	डीडीजी (एनआईसी) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाण पत्र व्यय विवरण /	एनएससी की बैठकों का समय पर संचालन, कार्यवाही का मुद्दा
एसएमपीयू	1हली	परियोजना प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण	कर्मियों की तैनाती, आदेश जारी
	2सरी	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विधिवत सत्यापित उपयोग प्रमाण पत्र व्यय / विवरण	समय पर बैठकें, समय पर डैशबोर्ड पर अपलोड करना

* *सांकेतिक सूची*

5. सर्वेक्षण दृष्टिकोण

5.1. सर्वेक्षण पद्धति

व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) का उपयोग करके बड़े पैमाने पर ड्रोन या यूएवी आधारित मानचित्रण किया जाता है क्योंकि ये यूएवी आरटीके (रियल टाईम कीनेमेटिक) / पीपीके (पोस्ट पॉइंट कीनेमेटिक) सक्षम हैं और सटीक प्रक्षेपण केंद्र प्रदान करने और उड़ान के दौरान ली गई छवियों के उन्मुखीकरण के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले आरजीबी सेंसर का उपयोग करते हैं। ऐसे यूएवी प्लेटफॉर्म में भूमि को पहचानने की कार्यक्षमता, छवि गुणवत्ता और ज्यामितीय सटीकता में स्थिरता सुनिश्चित करती है। ड्रोन आधारित उच्च रिज़ॉल्यूशन या 1:500/1000 पैमाने पर बड़े पैमाने पर मैपिंग के लिए पूरे राज्य के सटीक स्थानिक संदर्भ फ्रेम की आवश्यकता होती है, जो सामान्य संदर्भ फ्रेम का उपयोग करके बनाए गए अन्य डेटासेट के साथ स्थानिक डेटा एकीकरण, मिलान और निर्बाधता को सुनिश्चित करता है। इसके बाद के उप-खंड ग्रामीण बस्तियों के ड्रोन आधारित सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया में शामिल अंतर चरणों के तहत विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा देते हैं।

5.1.1. *सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ*

i. सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना
ii. क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय सर्वेक्षण करने के लिए कलेक्टर कार्यालय से अनुमति लेता है। कलेक्टर एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सर्वेक्षण क्षेत्र को अधिसूचित करता है।
iii. पंचायती राज विभाग गांव के निवासियों को सर्वेक्षण की अनुसूची के बारे में सूचित करने और सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए ग्राम सभा में आमंत्रित करता है।
iv. व्यक्तिगत संपत्तियों, सरकारी संपत्ति, ग्राम सभा भूमि पार्सल, सड़कें, खुले भूखंड आदि की पहचान और सर्वेक्षण किए जाने वाले संपत्ति क्षेत्रों की ग्राउंड मार्किंग।

v. एसओआई नागरिक उड्डयन महानिदेशालय / रक्षा मंत्रालय से ड्रोन उड़ाने के लिए अपेक्षित अनुमति लेता है

vi. उपलब्ध मानचित्रों / उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके ड्रोन उड़ान के लिए मिशन योजना

5.1.2. *सर्वेक्षण गतिविधियाँ*

i. क्षेत्रीय राजस्व कार्यालय एसओआई को स्कैन किए गए नक्शे प्रदान करेगा

ii. एसओआई को उड़ान भरने से पहले ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स या चेक पॉइंट्स की व्यवस्था करनी चाहिए।

iii. ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र, बसे हुए क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी/बस्तियों के बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड मानव रहित हवाई वाहन / ड्रोन का उपयोग कर एरियल छवियां लेना।

iv. ड्रोन के माध्यम से ली गई छवियों की जांच भारत की भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में की जाएगी।

v. आंकड़ा प्रोसेसिंग: बेसमैप जनरेशन और 2 डी फ़ीचर एक्सट्रैक्शन
   - **क.** डीईएम और ऑर्थो रेक्टीफाइड इमेज बताना
   - **ख.** ऑर्थो-रेक्टिफ़ाइड इमेज से 2 डी स्थलाकृतिक विशेषताओं का निष्कर्षण
   - **ग.** 1:500 के पैमाने पर लैंड पार्सल नक्शे का निर्माण
   - **घ.** निकाले गए स्थलाकृतिक विशेषताओं के साथ गुणों को जोड़ना
   - **ड.** गांवों की सीमाओं का निर्माण
   - **च.** राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संख्या प्रणाली के अनुसार गाँव आबादी क्षेत्र / लाल डोरा क्षेत्र के भीतर संपत्तियों/ढांचों का संख्याकन करना

vi. जीआईएस डेटाबेस का निर्माण

vii. 10 सेमी से अधिक सटीकता के लिए संसाधित छवियों का भू सत्यापन।

5.1.3. *सर्वेक्षण-पश्चात गतिविधियां*

i. राज्स्व विभाग और ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व के संयुक्त सत्यापन के लिए कानूनी अधिसूचना

ii. स्वामित्व न्याय-निर्णय के लिए जांच प्रक्रिया: प्रक्रिया शुरू की गई है, जहां सर्वेक्षण अधिकारी ग्राम सभाओं, भूमि मालिकों की मदद से भूमि पार्सल के स्वामित्व को सत्यापित करते हैं और मौजूदा दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं।

iii. अंतिम परिणामों का न्याय-निर्णय प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी करना। जांच अधिकारी (सर्वेक्षण विभाग से) स्वामित्व को फिर से सत्यापित करता है और संपत्ति के मालिकों से प्राप्त किसी भी सर्वेक्षण के बाद की आपत्तियों का निराकरण करता है। ये मालिक के नाम, संपत्ति की सीमाओं, संयुक्त होल्डिंग आदि में सुधार से संबंधित हो सकते हैं। अनसुलझी आपत्तियों / विवादों के लिए, अंतिम निर्णय जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर के पास रहेंगे।

iv. ग्राउंड ट्रूथिंग जांच प्रक्रिया और विवाद समाधान के बाद अंतिम डिजिटल मानचित्रण/ एलपीएम / डीईएम / जीआईएस डेटासेट बनाएं जाएंगे और उपयोग के लिए मानक प्रक्रिया के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय/अधिकृत एजेंसी को सौंप दिए जाएंगे ।

v. ग्राम के घरेलू मालिकों (संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी दस्तावेज) के लिए संपत्ति कार्ड का मुद्रण और वितरण।

vi. अभिलेखों के उचित भंडारण और नियमित अद्यतन के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए,

vii. ग्राम पंचायत के संपत्ति कर और संपत्ति रजिस्टर को ग्राम पंचायत अद्यतन करेगी

viii. राज्य राजस्व नक्शों के नियमित अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ix. एसओएल राजस्व विभाग के सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करेगा

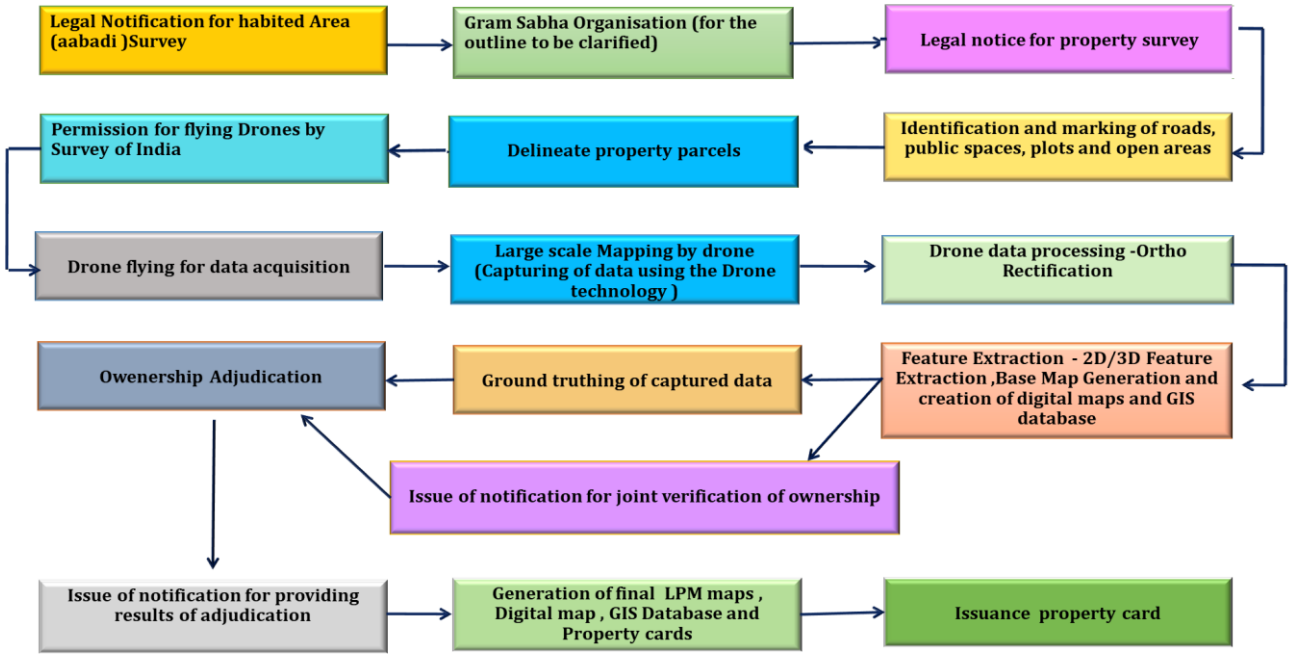

6. हितधारकों – भूमिका एवं उत्तरदायित्व

विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व नीचे दिए गए हैं

6.1. पंचायती राज मंत्रालय

केंद्रीय स्तर पर योजना का **वित्त पोषण और निगरानी** । निगरानी तंत्र नीचे दिए गए खंड 8.1 में उद्धरित किया गया है

वित्तपोषण निम्नलिखित हितधारकों को प्रदान किया जाएगा

i. सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना के लिए भारतीय सर्वेक्षण
ii. ड्रोन का उपयोग कर बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए भारतीय सर्वेक्षण
iii. राज्य परियोजना प्रबंधन और आईईसी गतिविधियों के लिए राज्य का राजस्व विभाग
iv. स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के लिए एनआईसी-एनआईसी-पंचायत सूचना केंद्र स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के निर्माण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा / मानचित्र का उपभोग करेगा और जीपीडीपी की तैयारी की सहायता करने के लिए ग्राम मानचित्रण एप्लिकेशन को बढ़ाएगा।
v. मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के विकास और रखरखाव के लिए एनआईसी-एनआईसी इस स्कीम की प्रगति की रिपोर्ट करने और निगरानी करने के लिए अनुप्रयोग को विकसित और केंद्रीय रूप से होस्ट करेगा।

6.2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग

i. भारतीय सर्वेक्षण द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला छवियों आदि के प्रसंस्करण से संबंधित परियोजना के भाग का क्रियान्वयन भारतीय सर्वेक्षण द्वारा इसी के परिसर में निकट देखरेख में किया जाएगा। तृतीय पक्ष को या उपलब्ध स्थान के आधुनिकीकरण के संबंध में कंप्यूटर / बाह्य उपकरणों / सर्वर / डेटा सेंटर के संदर्भ में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रदान या देख-रेख की जाएगी।
ii. परियोजना के तहत किसी भी गतिविधि की आउटसोर्सिंग के लिए भारतीय सर्वेक्षण आरएफपी /बोलियों की तैयारी, बोलियों के प्रसंस्करण, कार्य आवंटन, पर्यवेक्षण, गुणवत्ता की जांच और अनुबंध के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा।
iii. एसओएल सर्वेक्षण गतिविधियों के सर्वेक्षण नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करेगा

iv. ड्रोन उड़ान, आंकड़ा पुनरीक्षा और अंतिम वर्गीकरण के लिए सभी क्लीयरेंस भारतीय सर्वेक्षण द्वारा ली जाएगी।

v. पांच वर्षों के लिए सीओआरएस (निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन) की स्थापना के साथ-साथ उनका संचालन और रखरखाव ।

vi. सभी सतत परिचालन संदर्भ स्टेशनों को भारत के बेंचमार्क के सर्वेक्षण के आधार पर उच्च परिशुद्धता / सटीक लेवलिंग के साथ जोड़ा जाएगा

vii. राज्य के ग्रामीण आबादी क्षेत्र के बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड मानवरहित हवाई वाहन / ड्रोन का उपयोग करके ऐरियल इमेज लेना।

viii. मानव रहित हवाई वाहन छवियों की प्रसंस्करण के पश्चात क्षेत्रीय केंद्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यह डाटा प्रोसेसिंग के लिए जीआईएस प्रयोगशाला का उपयोग करेगा।

ix. आंकड़ा प्रसंस्करण और विशेषता निष्कर्षण: ऑर्थो रेक्टीफाइड इमेज, और स्थलाकृतिक सुविधाओं का निष्कर्षण। कृपया विवरण के लिए ऊपर खंड 3.2.2.ii बिंदु देखें।

x. प्रवेश और जोड़ने की सुविधा: राज्य सरकार द्वारा एकत्र / प्रदान की गई विशेषताओं को उनकी संबंधित विशेषताओं से जोड़ा जाएगा जिससे सभी सुविधाओं और उनकी संबंधित जानकारी का एक डिजिटल स्थानिक पुस्तकालय बनाया जाएगा। एसपीएमयू के समन्वय से विशेषता तालिका में आकड़ा प्रविष्टि भारतीय सर्वेक्षण द्वारा की जाएगी।

xi. राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संख्यांकन प्रणाली के अनुसार ग्रामीण आबादी / लालडोरा / क्षेत्र के भीतर संपत्तियों / ढांचों का संख्यांकन ।

xii. ग्राउंड-ट्रूथिंग और ऑर्थो-रेक्टिफ़ाइड छवियों से प्राप्त स्थलाकृतिक विशेषताओं का सत्यापन

xiii. उपयुक्त सॉफ्ट कॉपी आकार फ़ाइल स्वरूपों में अद्यतन भूमि पार्सल मैप्स (एलपीएम) मुद्रण स्वरूपों और अन्य भौगोलिक सूचना प्रणाली संगत प्रारूपों का निर्माण संगत जिनको सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाएगा। लैंड पार्सल मैप्स उत्पाद में राजस्व विभाग की आवश्यकता के अनुसार एक जैसे विशेषताओं के साथ-साथ स्थलाकृतिक विशेषताओं, मानव निर्मित संरचनाओं, भूमि पार्सल सूचना, जिला / तहसील / गाँव की सीमाओं की जानकारी आदि की विभिन्न परतों द्वारा आधार मानचित्र को शामिल करेंगे।

xiv. ओपन जियोस्पैटियल कंसोर्टियम (ओजीसी) को लागू करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली की पीढ़ी के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटाबेस डेटा मॉडल का स्थानिक और विश्वसनीय आकड़ा संग्रहीत करने के लिए परत संरचना।

xv. रक्षा मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षा की गई वितरण योग्य/डेलिवेयरवल्स को पंचायती राज मंत्रालय / राज्य अधिकारियों को सुपुर्दग/सौपना ।

xvi. विभिन्न अनुप्रयोगों, प्रौद्योगिकियों के संचालन और उपयोग पर राज्य राजस्व विभाग में नामित कार्मिकों जो परियोजना में उपयोग किए जाने हैं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

6.3. राज्य राजस्व विभाग

i. राज्य संपत्ति कार्ड देय अधिकार और वैधता का प्रारूप प्रदान करने हेतु भू-राजस्व संहिता और / या किसी अन्य प्रशासनिक दस्तावेज में उचित संशोधन करेंगे ।

ii. राज्य के राजस्व विभाग को राज्य राजस्व अधिनियम में ग्रामीण बसे हुए क्षेत्रों के सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण करने की गतिविधियों की सीमा की जाँच करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो राज्य को ड्रोन और संपत्तियों के भौतिक सर्वेक्षण के लिए राज्य राजस्व अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

iii. सीओआरएसस स्थल चयन और स्थापना कार्य और उपकरणों की भौतिक सुरक्षा और फील्ड दलों के लिए स्थानीय अधिकारियों के समर्थन के साथ क्षेत्र सर्वेक्षण गतिविधियों की सुविधा, फील्ड वाहनों को किराए पर लेना, स्थानीय मजदूरों को काम पर रखना, फील्ड दलों के लिए आवास आदि।

iv. प्रत्येक ड्रोन / मानवरहित हवाई वाहन उड़ान दल राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत के कम से कम एक कर्मचारी और यदि आवश्यक हो, तो पुलिस विभाग के एक कर्मचारी के साथ होगा।

v. क्षेत्र में ड्रोन उड़ने से पहले मालिकों और ग्राम पंचायत के साथ चूना लाइनों के साथ संपत्ति की सीमाओं को चिह्नित करना

vi. एसओआई दल को राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार विशेषता निष्कर्षण में सहायता करना।

vii. प्रविष्टि और सम्बद्धता के लिए जरूरी सूचना प्रदान करना: एक मानकीकृत आंकड़ा संग्रह प्रारूप प्रक्रिया को सरल और गति प्रदान करने के प्रयास के रूप में प्रदान किया जाएगा। विशेषता आंकड़ा की शुद्धता राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

viii. ओआरआई आंकड़ा की जाँच और सत्यापन के लिए जमीनी गतिविधियाँ: भूमि पार्सल मानचित्रों की ग्राउंड-ट्रूथिंग और वैधता तथा विशेषता सूची से संबंधित परतें राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी।

ix. (क) आंकड़ा विशेषता/ परत की सटीकता की जांच करना और (ख) भारतीय सर्वेक्षण विभाग में आपूर्ति की गई विशेषताओं के आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है।

x. अंतिम परिणामों के निर्णयादेश प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी करना। जांच अधिकारी (सर्वेक्षण विभाग) मालिकाना हक/स्वामित्व का पुन:सत्यापन तथा मालिक से प्राप्त पूर्व सर्वेक्षण आपत्तियों का समाधान करता है। ये मालिक के नाम, संपत्ति की सीमाओं, संयुक्त होल्डिंग आदि में सुधार से संबंधित हो सकते हैं । अनसुलझी आपत्तियों / विवादों के लिए अंतिम निर्णय का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर के पास होगा।

xi. राजस्व मानचित्र और उसके बाद के कार्यों को अंतिम रूप देना।

xii. ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए अधिकारियों / अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए एसओआई के साथ समन्वय करना।

xiii. ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड जारी करना।

xiv. राज्य सरकारें इस स्कीम के तहत सृजित आंकड़ों का प्रबंधन और रखरखाव करेंगी।

क. संपत्ति आंकड़ा / मानचित्र, एलएमपी मानचित्र और सृजित डिजिटल आंकड़ों को राज्य राजस्व विभाग द्वारा बनाए रखा जाएगा।

ख. सर्वेक्षण के बाद बनाए गए मानचित्रों की हार्ड प्रतियां रखी जाएंगी

1) ग्राम पंचायतें
2) तहसील / तालुका रिकॉर्ड केंद्र
3) जिला रिकॉर्ड केंद्र
4) राज्य रिकॉर्ड केंद्र

ग. भूमि रिकॉर्ड विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) स्कीम के तहत उपलब्ध एवं वित्त पोषित डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस स्कीम के तहत बनाए गए डेटा की होस्टिंग और संचयन के लिए उपयोग किया जाएगा।

6.4. राज्य पंचायती राज विभाग

i. मानचित्रों के सर्वेक्षण और सर्वेक्षण के बाद के सत्यापन की अनुसूची को सूचित करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन।

ii. परियोजना कार्य और आरजीएसए निधियों का लाभ उठाने के बारे में ग्रामीणों को संवेदनशील बनाने के लिए सहायता प्रदान करना।

iii. ग्राम पंचायतों के माध्यम से संपत्ति (कर) रजिस्टर को तैयार करने और अद्यतन करना।

6.5. ग्राम पंचायत

i. सर्वेक्षण को समय पर पूरा करने हेतु पंचायती राज विभाग और राज्य राजस्व विभाग की सहायता करना।
ii. सर्वेक्षण के बारे में गाँव के निवासियों में जागरूकता पैदा करना।
iii. मौजूदा ग्राम पंचायत संपत्ति (कर) रजिस्टर, जहां भी लागू हो, और अंतरिम नक्शा / रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एसओआई और जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएं ।
iv. सर्वेक्षण करने के लिए जमीनी स्तर की गतिविधियों के लिए समन्वय।
v. संपत्ति कर और ग्राम पंचायतों का संपत्ति रजिस्टर को अद्यतन करना।
vi. संपत्ति के मालिकों से प्राप्त सर्वेक्षण पश्चात आपत्तियों के समाधान में सहायता करें। ये मालिक के नाम, संपत्ति की सीमाओं, संयुक्त होल्डिंग आदि में सुधार से संबंधित हो सकते हैं । अनसुलझी आपत्तियों / विवादों के लिए अंतिम निर्णय का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर के पास होगा।

6.6. सम्पत्ति का मालिक

i. माप और सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारियों का सहयोग करें
ii. संबंधित प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो) प्रस्तुत करना।

6.7. एनआईसी- जीआईएस

i. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी की सहायता करने के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के निर्माण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा / नक्शे का लाभ उठाकर मंत्रालय के स्थानिक योजना अनुप्रयोग "ग्राम मानचित्र" को बढ़ाएं।
ii. इस स्कीम के ऑनलाइन निगरानी और डैशबोर्ड के रिपोर्टिंग की होस्टिंग के विकास और रखरखाव।
iii. संचयन (यदि आवश्यक हो) और ड्रोन योजना के तहत निर्मित डीईएम और जीआईएस डेटाबेस को होस्ट करें।

6.8. भूमि रिकॉर्ड का राज्य विभाग

i. भूमि रिकॉर्ड विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) स्कीम के तहत उपलब्ध एवं वित्त पोषित डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस स्कीम के तहत बनाए गए डेटा की होस्टिंग और संचयन के लिए उपयोग को सुगम बनाना।

6.9. संयुक्त उत्तरदायित्व (राज्य और भारतीय सर्वेक्षण विभाग)

i. इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जिन राज्यों में भारतीय सर्वेक्षण के साथ एक मौजूदा समझौता ज्ञापन है, जिसमें आपसी दायित्वों में काफी हद तक समानता हैं, नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है।

ii. ग्राउंड कंट्रोल प्वॉइंट्स से संबंधित गतिविधियों का एक हिस्सा राज्य सरकार और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (जिसके पास स्वयं की ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट लाइब्रेरी भी है) द्वारा पूरा किया जाना है। यदि आवश्यक हो, तो भारत के सर्वेक्षण द्वारा दोनों विभागों से ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट लाइब्रेरी का उपयोग करके घनत्व कम किया जाएगा ।

iii. सर्वेक्षण आंकड़ों का उपलब्ध रिकार्डों से सम्मेलन एवं प्रत्येक भू-पार्सल के डायमेंशन को अंतिम रूप देना।

7. गतिविधियां मैपिंग

निम्नलिखित योजना के कार्यान्वयन के लिए परिकल्पित गतिविधियों और संबंधित हितधारकों की सूची प्रदान करता है:

7.1. गतिविधियों/वितरण योग्य/प्रदेय मदों की सूची- हितधारक मानचित्रण

टी0 योजना के शुभारंभ की तिथि है।

क्र. सं.	गतिविधियां	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	ड्रोन स्वामित्व योजना का शुभारंभ	पंचायती राज मंत्रालय	टी0	
2	निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क की स्थापना		टी0+2 महीने	
2.1	राष्ट्रीय स्तर I. राष्ट्रीय संचालन समिति II. राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई III. मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड	पंचायती राज मंत्रालय	टी0+ 2 महीने	
2.2	राज्य स्तर I. राज्य संचालन समिति II. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जिला स्तर I. जिला निगरानी और समीक्षा समिति	राज्य का राजस्व विभाग	टी0+ 2 महीने	
2.3	केन्द्रित ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड का विकास	एनआईसी-जीआईएस	टी0+ 2 महीने	

क्र. सं.	गतिविधियां	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
3	राज्य सरकार और भारतीय सर्वेक्षण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	राज्य का राजस्व विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1 = टी0 + 1 महीने	
4	मिशन मोड ड्रोन सर्वेक्षण के लिए गाँव के क्लस्टर की पहचान और तैयारी करना	राज्य का राजस्व विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी 1	
5	सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना		टी1+10 महीने	*ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण के साथ समानांतर गतिविधियां। उन राज्यों में जिनके लिए सीओआरएस नेटवर्क पहले से ही स्थापित है या आवश्यक नहीं है। वे ड्रोन सर्वेक्षण के साथ शुरू कर सकते हैं।*
5.1	सीओआरएस नेटवर्क निर्माण और स्थापना की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडरिंग	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 2 महीने	
5.2	साइट चयन और सीओआरएस स्टेशनों के लिए टोह लेना: एसओआई राज्य सरकार की सहायता से उपयुक्त स्थल का चयन करता है। राज्य राजस्व विभाग स्टेशनों की भौतिक सुरक्षा के साथ सीओआरएस	राज्य का राजस्व विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 1 महीना	

क्र. सं.	गतिविधियां	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
	नेटवर्क के निर्माण या स्थापना के लिए मालिक से आवश्यक अनुमति की सुविधा प्रदान करेगा।			
5.3	फील्ड टीमों और उपकरणों की सुरक्षा / सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों के समर्थन के साथ क्षेत्र सर्वेक्षण गतिविधियों की सुविधा, फील्ड वाहनों को किराए पर लेना, स्थानीय मजदूरों को काम पर रखना, फील्ड टीमों के लिए आवास आदि।	राज्य का राजस्व विभाग	टी1+ 10 महीने	
5.4	आउटसोर्स एजेंसी द्वारा सीओआरएस स्टेशन का निर्माण, स्थापना और कमीशन	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 9 महीने	*निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एसओआई द्वारा आउटसोर्स किया जाना*
5.5	नियंत्रण केंद्रों की स्थापना।	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 10 महीने	
5.6	संचालन और सीओआरएस नेटवर्क का रखरखाव	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 5 वर्ष	
6	ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण		टी1+ 10 महीने	
6.1	ड्रोन की खरीद	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 2 महीने	*ड्रोन उड़ान और डेटा अधिग्रहण में लागत शामिल है*
6.2	पूर्व सर्वेक्षण गतिविधियों		टी1+ 1 महीना	

क्र. सं.	गतिविधियां	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
6.2.1	डीजीसीए, एमओडी, एमएचए आदि से उड़ान भरने वाले ड्रोन के लिए अनुमतियाँ या मंजूरी प्राप्त करना	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 1 महीना	
6.2.2	उपलब्ध ग्रामीण बस्तियों के नक्शे को स्कैन करना और भारतीय सर्वेक्षण को उपलब्ध कराना	राज्य का राजस्व विभाग	टी1+ 7 महीने	
6.2.3	अबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण की कानूनी अधिसूचना	राज्य का राजस्व विभाग	टी1+ 7 महीने	
6.2.4	सर्वेक्षण की अनुसूची को सूचित करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन करें	राज्य पंचायती राज विभाग	टी1+ 8 महीने	
6.3.5	परियोजना कार्य और आरजीएसए निधियों का लाभ उठाने के बारे में ग्रामीणों को संवेदनशील बनाने के लिए सहायता प्रदान करें	राज्य पंचायती राज विभाग	टी1+ 8 महीने	
6.2.6	क्षेत्र में ड्रोन उड़ने से पहले मालिकों के साथ चूना लाइनों के साथ संपत्ति की सीमाओं का अंकन	राज्य का राजस्व विभाग ग्राम पंचायत	टी1+ 8 महीने	
6.2.7	उपलब्ध नक्शे / उपग्रह इमेजरी डेटा का उपयोग करके ड्रोन उड़ान के लिए मिशन योजना	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 9 महीने	
6.3	सर्वेक्षण गतिविधियाँ		टी1+ 10 महीने	
6.3.1	उड़ान के लिए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की व्यवस्था	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 8 महीने	

क्र. सं.	गतिविधियां	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
6.3.2	बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड मानवरहित हवाई वाहन / ड्रोन का उपयोग करके एरियल इमेज का अधिग्रहण	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 9 महीने	
6.3.3	ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग और फ़ीचर एक्सट्रैक्शन: ऑर्थो रेक्टीफाइड इमेज और टोपोग्राफिकल फीचर्स का निष्कर्षण	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 9 महीने	*एसओआई क्षेत्रीय केंद्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में डेटा संसाधित किया जाता है । एसओआई उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और डाटा प्रोसेसिंग के लिए अपने जीआईएस लैब का उपयोग करेगा।*
6.3.4	प्रवेश और जोड़ने की सुविधा: एकत्र / प्रदत्त (राज्य सरकार द्वारा) प्रदान की गई विशेषताओं को उनकी संबंधित सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे सभी सुविधाओं और उनकी संबंधित जानकारी का एक डिजिटल स्थानिक पुस्तकालय बनाया जाएगा। एसपीएमयू के समन्वय में सर्वेक्षण तालिका में आंकड़े प्रविष्टि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जाएगी।	राज्य का राजस्व विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 9 महीने	
6.3.5	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संख्या प्रणाली के अनुसार ग्रामीण आबादी /	राज्य का राजस्व विभाग	टी1+ 9 महीने	

क्र. सं.	गतिविधियां	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
	लाल डोरा / क्षेत्र के भीतर संपत्तियों / संरचनाओं की संख्या।	भारतीय सर्वेक्षण विभाग		
6.3.6	ग्राउंड-ट्रूथिंग और ऑर्थो-रेक्टिफ़ाइड चित्रों से प्राप्त स्थलाकृतिक विशेषताओं का सत्यापन	भारतीय सर्वेक्षण विभाग ग्राम पंचायतें	टी1+ 10 महीने	
6.3.7	ग्राउंड- ट्रूथिंग, लैंड पार्सल मानचित्रों का सत्यापन	राज्य का राजस्व विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 10 महीने	
6.4	पोस्ट – सर्वेक्षण गतिविधियां		टी1+ 10 महीने	
6.4.1	स्वामित्व के संयुक्त सत्यापन की अधिसूचना जारी करना	राज्य का राजस्व विभाग	टी1+ 10 महीने	
6.4.2	संपत्ति का स्वामित्व विज्ञापन	राज्य का राजस्व विभाग	टी1+ 10 महीने	
6.4.3	विज्ञापन के परिणाम प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी करना	राज्य का राजस्व विभाग	टी1+ 10 महीने	
6.4.4	जांच अधिकारी ग्राम पंचायतों की सहायता से संपत्ति मालिकों से प्राप्त सर्वेक्षण के बाद आपत्तियों के समाधान करता है। ये मालिक	ग्राम पंचायत	टी1+ 10 महीने	

क्र. सं.	गतिविधियां	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
	के नाम, संपत्ति की सीमाओं, संयुक्त होल्डिंग आदि में सुधार से संबंधित हो सकते हैं। अनसुलझे आपत्तियों / विवादों के लिए अंतिम निर्णय जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर के पास होगा।			
6.4.5	बाद की आपत्ति – अंतिम रूप देना / सुधार और नक्शों का सत्यापन	राज्य का राजस्व विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 10 महीने	
7	अंतिम वितरण / प्रदेय	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 10 महीने	
7.1	± 5 सेमी जीएसडी से बेहतर ऑर्थो-रेक्टिफाइड इमेज (ओआरआई)	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 10 महीने	***डेटा स्वामी :*** *संयुक्त रूप से स्वामित्व में: भारतीय सर्वेक्षण, पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के राजस्व विभाग और डीओएलआर* ***डेटा संग्रहण :*** *डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) योजना के तहत उपलब्ध और वित्त पोषित डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर संग्रहीत, भूमि विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय*

क्र. सं.	गतिविधियां	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
7.2	यूटीएप प्रोजेक्शन और डब्ल्यूजीएस-84 डेटम पर 1: 500 स्केल पर तैयार किया गया जीआईएस डेटा बेस	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 10 महीने	***डेटा स्वामी :*** *संयुक्त रूप से स्वामित्व में: भारतीय सर्वेक्षण, पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग* ***डेटा स्टोरेज :*** *एसओआई सर्वर / डाटा सेंटर*
7.3	± 20 सेमी सटीकता से बेहतर डीईएम / डीएसएम	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 10 महीने	***डेटा स्वामी :*** *संयुक्त रूप से स्वामित्व में: भारतीय सर्वेक्षण* विभाग, *पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग* ***डेटा स्टोरेज :*** *एसओआई सर्वर / डाटा सेंटर*
7.4	संपत्ति कार्ड डेटा (रिकॉर्ड का अधिकार)	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 10 महीने	***डाटा मालिक :*** *राज्य का राजस्व विभाग* ***दिनांक संग्रहण :*** *एनडीसी / क्लाउड*
7.5	नक्शे की हार्ड कॉपी 1: 500 के पैमाने पर (प्रत्येक 04) प्रत्येक गांव में अच्छी गुणवत्ता वाले 90 जीएसएम पेपर पर पीडीएफ कॉपी के साथ	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	टी1+ 10 महीने	***डाटा मालिक :*** *राज्य का राजस्व विभाग* ***संग्रहीत :*** *i. ग्राम पंचायतें* *ii. तहसील रिकॉर्ड केंद्र* *iii. जिला रिकॉर्ड*

क्र. सं.	गतिविधियां	ज़िम्मेदारी	समय सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
				केंद्र *iv. राज्य रिकॉर्ड केंद्र*
8	"ग्राम मानचित्र " अनुप्रयोग में संलग्न- जीआईएस डेटाबेस तैयार करने वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों का विकास	एनआईसी-जीआईएस	टी1+ 10 महीने	
9	ग्राम पंचायत के संपत्ति कर और संपत्ति रजिस्टर का अद्यतन	ग्राम पंचायत	टी1+ 10 महीने	
10	संपत्ति मालिक को संपत्ति कार्ड जारी करना	राज्य का राजस्व विभाग	टी1+ 10 महीने	
11	राज्य के राजस्व विभाग में नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	चरण I टी1+ 7 महीने चरण II टी1+ 9 महीने	
12	मानचित्रों का नियमित अद्यतनीकरण।	राज्य का राजस्व विभाग	*राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है*	

** दी गई समयसीमा सांकेतिक है । सर्वे से संबंधित समय सीमा गतिविधियां भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं (संदर्भ अनुबंध VI)*

8. निगरानी और मूल्यांकन

समयबद्ध निगरानी, रिपोर्टिंग और पाठ्यक्रम सुधार (जहां भी आवश्यक हो) के लिए एक तीन-स्तरीय निगरानी और मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया जाएगा।
यह राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर काम करेगा और इसमें संबंधित निर्णय निर्माता और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

8.1. कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र

निम्नलिखित तीन-स्तरीय संस्थागत तंत्र की परिकल्पना की गई है

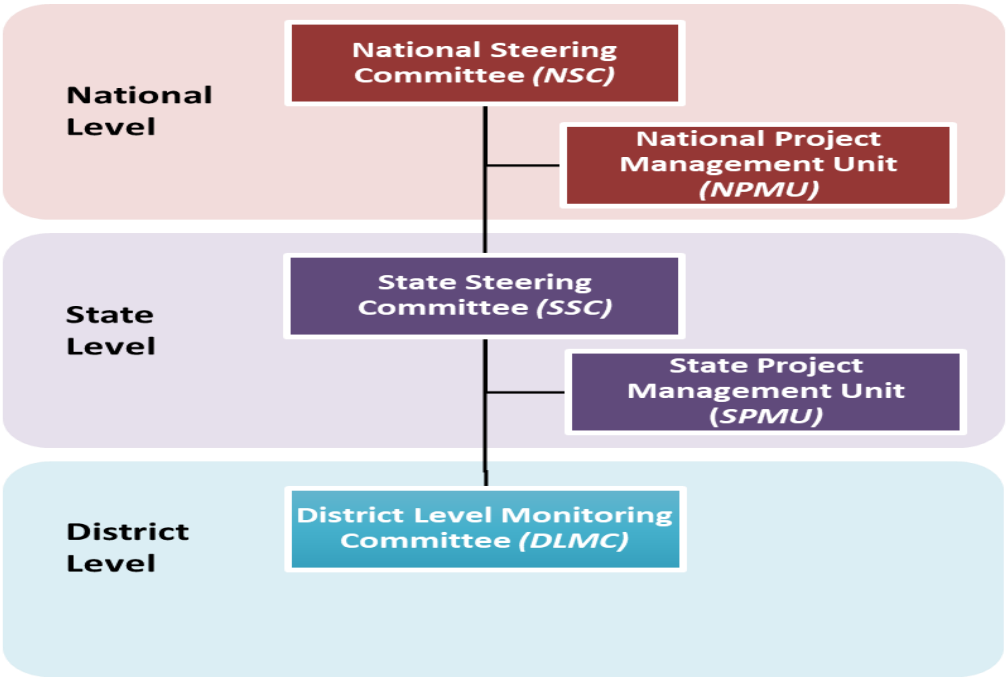

8.1.1. *राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी)*

राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) योजना के सुचारू संचालन के लिए समग्र कार्यक्रम निरीक्षण, निगरानी और मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार होगी। समिति प्रगति की समीक्षा करेगी, परियोजनाओं और राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी देगी और राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उचित समय पर सलाह / निर्देश देगी।
एनएससी निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी:

i. कार्य के लिए रणनीतिक दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करें।
ii. नीति स्तर के मुद्दों पर निर्णय लें, जिन्हें समय-समय पर संबोधित करने की आवश्यकता है।
iii. सभी कार्य वितरण को मंजूरी देने के लिए अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य करें।

योजना की निगरानी के लिए समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	अध्यक्ष
नीति आयोग के प्रतिनिधि, संयुक्त सचिव के स्तर से कम नहीं	सदस्य
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि, निदेशक के स्तर से कम नहीं	सदस्य
प्रमुख सचिव / सचिव (पंचायती राज विभाग (पायलट चरण के लिए चयनित राज्य)	सदस्य
प्रमुख सचिव / सचिव (राजस्व विभाग (पायलट चरण के लिए चयनित राज्य)	सदस्य
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का प्रतिनिधि	सदस्य
भूमि संसाधन विभाग के सचिव का प्रतिनिधि	सदस्य
राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी के प्रतिनिधि	सदस्य
एनआईसी-जीआईएस के प्रतिनिधि	सदस्य
गैर-आधिकारिक व्यक्ति डोमेन में अनुभव रखते हैं	सदस्य
स्वामित्व योजना को देखने वाले संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य सचिव

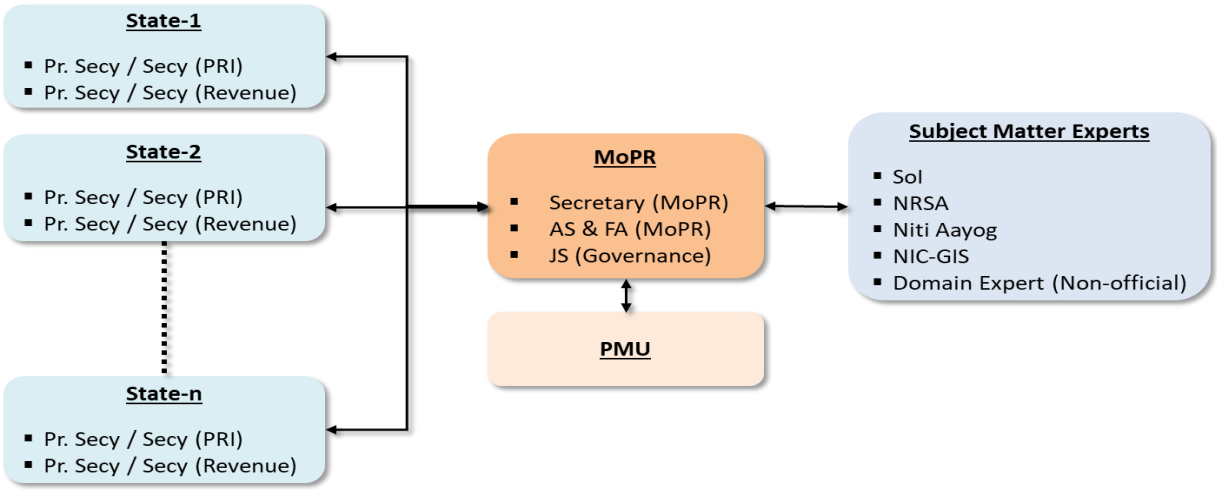

8.1.2. *राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू)*

समग्र प्रबंधन, योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग को पेशेवर और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **एनपीएमयू** की स्थापना की जाएगी।

यह योजना के लिए जिम्मेदार एनएससी के सदस्य-सचिव यानी संयुक्त सचिव की देखरेख में काम करेगा और उसे रिपोर्ट करेगा।

इसमें प्रासंगिक / जीआईएस विषयों के योग्य और अनुभवी विशेषज्ञ होंगे। पंचायती राज मंत्रालय लघु अवधि के सलाहकारों को भी नियुक्त कर सकता है और / या उसे एनआईसीएसआई सहित पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स करने की छूट भी प्राप्त होगी। *एनपीएमयू सलाहकार के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस **अनुबंध IV** पर संलग्न है* ।

राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख गतिविधियों में शामिल होंगे :

i. समग्र कार्यान्वयन और हितधारक समन्वय जिसमें जागरूकता और हैंडहोल्डिंग समर्थन की सुविधा शामिल है।
ii. राज्यों की सहायता और भारतीय सर्वेक्षण विभाग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने, राज्यों को निधि संवितरण, परियोजना समय की निगरानी आदि के साथ समर्थन करना।
iii. ड्रोन का उपयोग करके कोर्स नेटवर्क और बड़े पैमाने पर मानचित्रण की स्थापना की निगरानी के लिए भारतीय सर्वेक्षण और राज्यों के साथ सहयोग।
iv. योजना के डैशबोर्ड की ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग के विकास और रखरखाव के लिए कार्यात्मक इनपुट प्रदान करें।
v. परियोजना प्रगति के सत्यापन और सत्यापन के माध्यम से योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
vi. क्रॉस स्टेट शेयरिंग एंड लर्निंग, अच्छी प्रथाओं के प्रलेखन।
vii. ड्रोन सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए लोगों को जुटाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आईईसी गतिविधियों का समन्वय करें। इसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस / सप्ताह के दौरान अभियान चलाना, विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अच्छी प्रथाओं और अन्य राष्ट्रीय अभियानों का प्रचार/प्रसार शामिल है।
viii. अन्य अनुप्रयोगों के बीच ग्राम मानचित्र अनुप्रयोग में जीपीडीपी की तैयारी का समर्थन करने के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के

तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा / नक्शे का लाभ उठाने हेतु एनआईसी-जीआईएस डिवीजन और एनआरएससी भुवन के साथ समन्वय।

8.1.3. *राज्य संचालन समिति (एसएससी)*

राज्य संचालन समिति समग्र कार्यक्रम की देखरेख और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा और संबंधित राज्य में योजना के सुचारू संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

राज्य संचालन समिति निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी:

i. परियोजना पर परिचालन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करें
ii. सभी बैठकों में भाग लें और समय-समय पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करें।
iii. डिलिवरेबल्स की जांच करने और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को डिलिवरेबल्स की स्वीकृति की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार।

प्रगति की निगरानी करने और एसपीएमयू कर्मियों द्वारा डैशबोर्ड अद्यतन को अनुमोदित करने के लिए समिति हर महीने कम से कम एक बार बैठक करेगी।

एसीएस (राजस्व)	अध्यक्ष
संभागीय आयुक्त	सदस्य
महानिरीक्षक, पंजीकरण	सदस्य
सर्वेक्षण और निपटान और भूमि रिकॉर्ड के आयुक्त / निदेशक	सदस्य
राज्य पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि, निदेशक के पद से कम नहीं	सदस्य
सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि	सदस्य
पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारी, अवर सचिव के पद से कम नहीं	सदस्य
राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी	सदस्य
अध्यक्ष/चेयरपर्सन द्वारा नियुक्त अधिकारी	सदस्य सचिव

**राज्य राज्य सरकारों से 4 अतिरिक्त सदस्यों को चुन सकते हैं।*

8.1.4. *राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसएमपीयू)*

योजना के तहत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना राज्य स्तर पर समग्र प्रबंधन, विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और राज्य के राजस्व विभाग, जिला अधिकारियों, जीपी अधिकारियों और सर्वेक्षण विभाग के समर्थन के लिए की जाएगी।

यह राज्य संचालन समिति के सदस्य-सचिव की देखरेख में काम करेगा और उसे रिपोर्ट करेगा।

इसमें प्रासंगिक / जीआईएस विषयों के योग्य और अनुभवी विशेषज्ञ होंगे। राज्य का राजस्व विभाग अल्पावधि परामर्शी भी रख सकता है और / या पेशेवर एजेंसियों को आउटसोर्स (एसएमपीयू) करने के लिए छूट होगी। परामर्शियों के लिए संभावित टर्म ऑफ रेफरेंस/सेवा शर्तों को अनुबंध IV में रखा गया है ।

मुख्य राज्य स्तरीय गतिविधियों में शामिल होंगे :

i. कार्यक्रम प्रबंधन गतिविधियों के लिए नित्य प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
ii. परियोजना की प्रगति पर नज़र रखें और वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों को परियोजना की प्रगति के बारे में सूचित करें।
iii. राज्य के विभागों और भारतीय सर्वेक्षण जैसे संबंधित हितधारकों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना।
iv. ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मैपिंग की प्रगति की रिपोर्टिंग और निगरानी में राज्य के राजस्व विभाग का समर्थन करें।
v. जीआईएस डेटाबेस में शामिल किए जाने के लिए विशेष सूचना और अन्य माध्यमिक जानकारी को समेकित करें।
vi. मानचित्रों के ग्राउंड-ट्रूटिंग का समर्थन करें।
vii. राज्य और भारतीय सर्वेक्षण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और कार्यान्वयन समय सीमाओं की निगरानी करने की सुविधा।
viii. मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ऑफ स्कीम में नियमित अपडेट के माध्यम से प्रोजेक्ट प्रगति रिपोर्टिंग की सुविधा दें।

8.1.5. *जिला निगरानी और समीक्षा समिति (डीएमआरसी)*

जिला स्तर पर, समिति महीने में कम से कम एक बार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगी, और जिला कलेक्टर / उपायुक्त राज्य संचालन समिति को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके अलावा, समिति प्राप्त आईईसी फंडों की निगरानी और देखरेख के लिए जिम्मेदार होगी।

जिला कलेक्टर / उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
एडीएम और एसडीएम भूमि राजस्व मामलों का निपटान	सदस्य
जिला परिषद के सीईओ / कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
उप जिला पंजीयक	सदस्य
जिले के क्षेत्राधिकार वाले सर्वेक्षण और निपटान / समेकन अधिकारी	सदस्य सचिव
जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी.	सदस्य
सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित सदस्य

8.2. ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड

इस उद्देश्य के लिए विकसित ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से स्वामित्व योजना की प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक किया जाएगा।

घटक	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (आउटकम मापन)
सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना	i) स्थापित, संस्थापित और चालू सीओआरएस नेटवर्क की संख्या
	ii) चालू सीओआरएस नेटवर्क कार्यशील की संख्या
	iii) राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण किए गए सीओआरएस नेटवर्क-आधारित उपयोगों या अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
ड्रोन का उपयोग	i) ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स की स्थापना की पूर्ण स्थिति

घटक	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (आउटकम मापन)
करके बड़े पैमाने पर मैपिंग (एलएसएम)	ii) ड्रोन उड़ान भरने वाले गांवों की संख्या
	iii) गाँवों की संख्या ने डाटा प्रोसेसिंग और तैयार नक्शे को पूरा किया
	iv) पूर्ण किए गए नक्शों के ग्राउंड-ट्रूथिंग गाँव की संख्या
	v) फ़ीचर कोड, फ़ीचर टाइप (लाइन, पॉइंट्स और बहुभुज), फ़ीचर डिस्क्रिप्शन और सिंबल के साथ स्पेसियल और नॉन-स्पैटिअल डेटा डिक्शनरी के साथ गांवों की संख्या।
	vi) उन गाँवों की संख्या, जिनके लिए वर्टिकल $\leq$20 सेमी डीईएम सीधी सटीकता का आबादी क्षेत्र बनाया गया है।
	vii) उन गांवों की संख्या, जिनके लिए अंतरिम नक्शे तैयार किए गए हैं।
	viii) उन गांवों की संख्या जहां पूछताछ प्रक्रिया चल रही है।
	ix) गाँवों की संख्या जिसके लिए अंतिम नक्शे तैयार किए गए हैं।
	x) जिन गांवों के लिए जीआईएस डेटाबेस तैयार किया गया है, उनकी संख्या।
	xi) उन गाँवों की संख्या, जिनके लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए और वितरित किए गए हैं।
	xii) भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूर्ण किए गए सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
कार्यक्रम प्रबंधन	i) कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ जो कार्यात्मक हैं और योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती हैं
आईईसी गतिविधियाँ	i) गहन आईईसी विभिन्न माध्यमों से आयोजित किया जाता है। ii) ग्राम सभा ने संवेदनशील और लामबंद की गई संख्या। iii) प्रलेखित और प्रसारित अच्छी प्रथाओं की संख्या। iv) तैयार और प्रसारित लघु फिल्मों की संख्या।

घटक	प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (आउटकम मापन)
स्पेशियल/स्थानिक अनुप्रयोग	i) उन गांवों की संख्या जिनके लिए जीआईएस डेटा बनाया गया है और एसओएल द्वारा एनआईसी टीम के साथ साझा किया गया है। ii) गांवों की संख्या जिसके लिए जीआईएस डेटा स्थानिक अनुप्रयोग के साथ एकीकृत है। iii) डीईएम कम करने की रूपरेखा बनाई गई।

**सांकेतिक सूची*

9. वितरण योग्य

9.1. वितरण योग्य आइटमों की सूची

परियोजना के संपूर्ण पाठ्यक्रम में परिकल्पित सुपुर्दगी की सूची नीचे दी गई है:

i. पांच (05) वर्षों के लिए ≤5 सेमी क्षैतिज सटीकता वाली सीओआरएस नेटवर्क की आरटीके सर्विस

ii. देश के राष्ट्रीय स्थानिक संदर्भ ढांचे के आधार पर स्थापित नियंत्रण सर्वेक्षण नेटवर्क का उपयोग करके सटीक भू-संदर्भित डिजिटल मानचित्र।

iii. नियंत्रण और उनके विवरण और स्थान को दर्शाने वाले बिंदुओं के समन्वय के साथ जियोडेटिक नेटवर्क। (यूटीएम यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर) समन्वय प्रणाली क्षेत्र) सीओआरएस / कोर्स (सतत प्रचालन संदर्भ स्टेशन) नेटवर्क के माध्यम से जीसीपी (ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स) - सभी नियंत्रण बिंदुओं के स्थान और आईडी को जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) और समन्वित सूची को अक्षांश / देशांतर तथा डब्ल्यू जीएस 84 (वर्ल्ड जिओडेटिक सिस्टम 1984) से दोनों में बनाए रखा जाना चाहिए ।

iv. विशेषताओं का मेटाडेटा। जमीनी सर्वेक्षण कार्य का कच्चा डेटा।

v. निम्नलिखित पैमाने पर उचित शीट नंबर के साथ उचित अनुक्रमित नक्शा:

   क. सभी क्षेत्रों के लिए लंबवत सटीकता 0.2 मीटर (ग्रामीण अबादी क्षेत्र / लाल डोरा)

   ख. ग्राम लाल डोरा / अबादी 1: 500 पर (5 सेमी जीएसडी (ग्राउंड सैंपलिंग दूरी) पर ऑर्थो रेक्टीफाइड इमेज;) ±5 सेमी क्षैतिज सटीकता;

vi. गांव का मोज़ेक मानचित्र: फ़ीचर कोड, फ़ीचर प्रकार (लाइन, पॉइंट्स और बहुभुज) के साथ स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा शब्दकोश, फ़ीचर विवरण और संकेत/ प्रतीक

vii. यूटीएएम प्रोजेक्शन और डब्लयूजीएस-84 आधार सामग्री पर 1:500 स्केल पर तैयार किया गया जीआइ्एस डेटा बेस।

viii. गांव की आबादी क्षेत्र के लिए क्षैतिज 20 सेमी ऊर्ध्वाधर सटीकता का डीईएम।

ix. भविष्य में छपाई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले 90 जीएसएम पेपर पर एक गाँव के लिए 1: 500 स्केल (04 नहीं प्रत्येक) पर हार्ड कॉपी मैप्स पीडीएफ कॉपी के साथ।

x. राज्य सरकार के मार्गदर्शन में विधिवत मुद्रित संपत्ति कार्ड।

xi. आईआईएसएम, हैदराबाद में विभिन्न स्तरों पर तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

9.2. डेटा का स्वामित्व

ऑर्थो रिक्टिफाइड बेस नक्शे संयुक्त रूप से पंचायती राज मंत्रालय , राज्य सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया के स्वामित्व में होंगे। सभी संसाधित डेटा उत्पाद और अंतिम डेटा उत्पाद संयुक्त रूप से सर्वे ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के सर्वेक्षण के स्वामित्व में होंगे। एनआईसी-जीआईएस डिवीजन और राज्य सरकार के माध्यम से सभी एजेंसियों (सर्वे ऑफ इंडिया, पंचायती राज मंत्रालय) को इस परियोजना के तहत सृजित डेटा का अपने आंतरिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा।

क्र.सं	सृजित डेटा	डेटा का स्वामी	डेटा का भंडारण स्थान	डेटा का फार्मेट	डेटा साझाकरण की प्रणाली
1	±5 सेमी जीएसडी से बेहतर का ऑर्थो-रेक्टिफाइड इमेज (ओआरआई)	डीओएलआर (भारत सरकार), पंचायती राज मंत्रालय (भारत सरकार) और राज्य सरकार का संयुक्त रूप से स्वामित्व।	ग्रामीण विकास मंत्रालय का डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) योजना के तहत उपलब्ध और वित्त पोषित डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर	जियो-टिफ़ प्रारूप	एसएफटीपी वेब सेवाएं
2	1: 500 पैमाने पर तैयार किया गया जीआईएस डेटा बेस यूटीएम प्रोजेक्शन और डब्ल्यूजीएस -84	संयुक्त रूप से एसओआई, पंचायती राज मंत्रालय(भारत सकरार) और राज्य सरकार का	एनडीसी/ क्लाउड	आकृति फाइल/ आरडीबीएमएस	एसएफटीपी वेब सेवाएं

क्र.सं	सृजित डेटा	डेटा का स्वामी	डेटा का भंडारण स्थान	डेटा का फार्मेट	डेटा साझाकरण की प्रणाली
	डेटम	स्वामित्व			
3	±20 सेमी सटीकता से बेहतर का डीईएम / डीएसएम	संयुक्त रूप से एसओआई, पंचायती राज मंत्रालय(भारत सकरार) और राज्य सरकार का स्वामित्व	एसओआई सर्वर / डाटा सेंटर	जियो-टिफ़ प्रारूप	एसएफटीपी वेब सेवाएं
4	संपत्ति कार्ड डेटा (अधिकारों का रिकॉर्ड)	राज्य सरकार का राजस्व विभाग	राज्य डाटा सेंटर	एनए	संबंधित राज्य आईटी टीम / राज्य एनआईसी इकाई द्वारा निर्णय लिया जाना है
5	1: 500 के पैमाने पर (04 नहीं) प्रत्येक गांव के लिए तैयार नक्शे की हार्ड कॉपी, अच्छी गुणवत्ता वाले 90 जीएसएम पेपर पर पीडीएफ	संबंधित राज्य सरकार का राजस्व विभाग	i. ग्राम पंचायत ii. तहसील रिकार्ड सेंटर ii. जिला रिकार्ड सेंटर v. राज्य रिकार्ड सेंटर	पीडीएफ	हार्ड कॉपी / सीडी

क्र.सं	सृजित डेटा	डेटा का स्वामी	डेटा का भंडारण स्थान	डेटा का फार्मेट	डेटा साझाकरण की प्रणाली
	कॉपी के साथ				

* ***जीआईएस डेटाबेस***

i. संपत्ति संबंधी डेटा को छोड़कर जीआईएस डेटा पर संयुक्त रूप से ऊपर वर्णित का स्वामित्व होगा।

ii. संपत्ति के विवरण से संबंधित आंकड़े राज्य के राजस्व विभाग के स्वामित्व में होंगे क्योंकि इसमें राइट ऑफ रिकॉर्ड्स (आरओआर) को रूपांतरण करने और मैप्स को अपडेट करने का अधिकार है। इसलिए, राज्य राजस्व विभाग इस डेटा का मालिक / मेजबान होगा और अन्य को इसे देखने का अधिकार होगा।

iii. आगामी *12* महीनों में किए गए जाने वाले औ अन्य अद्यतनित जीआईएस डेटा लेयर को तलाथी / पटवारी स्तर के अधिकारी द्वारा हर साल एक बार साझा किए जाने वाले अपडेशन में शामिल किया जाएगा।

9.3. वर्ष–वार कवरेज

स्वामित्व योजना(एसवीएएमआईटीवीए) के तहत लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर करने वाली समग्र परियोजना की समयावधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 20-21-24 तक 1 वर्ष के पायलट चरण सहित वित्त वर्ष 2020-21 से 4 वर्ष के लिए होने का अनुमान है। एक सांकेतिक कवरेज नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/ संराक्षे	गांव	मानचित्रित किए जाने वाले प्रस्तावति गांवों की संख्या			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	जम्मू और कश्मीर	6850	0	0	0	6850
2	लद्दाख	243	0	0	0	243
3	अंडमान और निकोबार	552	0	552	0	0

क्र.सं.	राज्य/ संराक्षे	गांव	मानचित्रित किए जाने वाले प्रस्तावति गांवों की संख्या			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
4	आंध्र प्रदेश	17950	0	4000	8400	5550
5	अरुणाचल प्रदेश	5577	0	0	0	5577
6	असम	28680	0	0	20000	8680
7	बिहार	45265	0	22000	14000	9265
8	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
9	छत्तीसगढ़	20578	0	578	4000	16000
10	दादरा और नागर हवेली	70	0	70	0	0
11	दमन और दीव	31	0	31	0	0
12	दिल्ली	222	0	0	222	0
13	गोवा	410	0	0	410	0
14	गुजरात	19015	0	14000	5014	0
15	हरियाणा	7652	3826	3826	0	0
16	हिमाचल प्रदेश	20961	0	0	8000	12961
17	झारखंड	32725	0	725	12000	20000
18	कर्नाटक	33157	16580	11157	5420	0
19	केरल	1664	0	1200	464	0
20	लक्षद्वीप	27	0	0	27	0
21	मध्य प्रदेश	55100	1000	27050	27050	0
22	महाराष्ट्र	44137	22069	22069	0	0
23	मणिपुर	3798	0	0	0	3798
24	मेघालय	6846	0	0	0	6846
25	मिजोरम	838	0	0	0	838
26	नागालैंड	1617	0	0	0	1617
27	ओडिशा	52141	0	0	52141	0
28	पुद्दुचेरी	125	0	125	0	0
29	पंजाब	13045	0	0	8000	5045
30	राजस्थान	46543	0	32000	14543	0

क्र.सं.	राज्य/ संराक्षे	गांव	मानचित्रित किए जाने वाले प्रस्तावति गांवों की संख्या			
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
31	सिक्किम	454	0	454	0	0
32	तमिलनाडु	18463	0	9200	8000	1263
33	तेलंगाना	11234	0	0	0	11234
34	त्रिपुरा	898	0	0	0	898
35	उत्तर प्रदेश	107242	53622	53622	0	0
36	उत्तराखंड	17048	4000	13048	0	0
37	पश्चिम बंगाल	41002	0	32000	8000	1002
कुल			**101097**	**247707**	**195691**	**117667**

10. आईटी अवसंरचना, हार्ड वेयर और सॉफ्टवेयर

डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और होस्टिंग के लिए जरूरी आईटी अवसंरचना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उदाहरण सहित विवरण नीचे दिया गया है। **यह घटक योजना के तहत वित्त पोषित नहीं है।**

10.1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) लैब में सर्वेक्षण के बाद डाटा प्रोसेसिंग:

ड्रोन के माध्यम से प्राप्त डेटा के प्रसंस्करण डिजिटलीकरण गतिविधि को अंजाम देना, प्रारूप निष्कर्षण के लिए आवश्यक हार्डवेयर जैसे सर्वर, डेस्कटॉप, प्लॉटर्स, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर आदि की खरीद, स्थापना और संचालन एसओआई द्वारा किया जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अलावा, एसओआई मौजूदा सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा और न्मिन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करेगा:

i. जीआईएस तैयार एलपीएम में संबंधित राज्य राजस्व विभाग की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्तरों पर आवृत लिंक किए गए विशेषता के साथ स्थलाकृतिक विशेषताओं, मानव निर्मित संरचनाओं, भूमि पार्सल की जानकारी, सीमाओं की जानकारी आदि के बेस मैप शामिल होंगे।
ii. स्थानिक और पाठ्य डेटा का एकीकरण: ग्राम पंचायत रिकॉर्ड सहित उपलब्ध रिकॉर्ड से प्राप्त डेटा, उत्पन्न एलपीएम के साथ एकीकृत किया जाएगा।

10.2. राज्य सरकार से बुनियादी ढांचे की जरूरत है

राज्य सरकारें सृजित आंकड़ों का प्रबंधन और रखरखाव करेंगी।

i. **परियोजना निष्पादन के दौरान:** एसओर्आई, एसओर्आई लैब में सभी उपयोग में आने वाले सभी बुनियादी ढांचे और मध्यवर्ती मानचित्र और अंतिम यूसीटी / डेटा वितरित करेगा। यदि विभाग तालुका स्तर पर डिजिटल डेटा पर क्यूसी करना चाहता है, तो एसओर्आई लैब से तालुका कार्यालयों में डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर वीपीएन स्थापित किया जा सकता है।

ii. डाटा की हार्ड कॉपी का भंडारण

सर्वेक्षण के बाद सृजित मानचित्रों की हार्ड प्रतियां निम्न स्थानों पर रखी जाएंगी

क. ग्राम पंचायत

ख. तहसील रिकार्ड सेंटर

ग. जिला रिकार्ड सेंटर

घ. राज्य रिकार्ड सेंटर

iii. डेटा का होस्टिंग / मेजबानी और भंडारण

क. कयोजना के तहत सृजित डेटा की होस्टिंग / मेजबानी और भंडारण के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना का डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) योजना के तहत उपलब्ध और वित्त पोषित डेटा रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा।

ख. होस्टिंग और स्थानिक डेटा के आगे अद्यतन और रखरखाव के लिए एक नया सॉफ्टवेयर या भूनक्शा विकसित किया जाएगा।

10.3. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा

एसओआई ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से कैप्चर किए गए डेटा के पोस्ट प्रोसेसिंग द्वारा बनाए गए जीआईएस डेटाबेस और डीईएम को संग्रहीत और होस्ट करेगा। एसओआई इस डेटा को राज्य सरकार, पंचायती राज मंत्रालय के साथ एनआईसी के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमति के तंत्र के अनुसार साझा करेगा।

11. लागत मानदंड

योजना घटक-वार लागत मानदंड नीचे दिए गए हैं:: -

11.1. सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना

क्र.सं.	उप- गतिविधियां	मूल्य * (रुपये में)
1	नागरिक/ सिविल निर्माण कार्य क .कंक्रीट प्लेटफार्म ख .सुरक्षा घेरा	120 करोड़
2.	सीओआरएस(कोरस) स्टेशनों की स्थापना और इनको चालू करना क. सीओआरएस(कोर्स) रिसिवर ख. अन्य आईटी हार्डवेयर ग. पावर बैक-अप घ. 05 वर्षों के लिए हार्डवेयर की वारंटी ड. 05 वर्षों के लिए रखरखाव और परिचालन	

***** *कोर नेटवर्क की स्थापना के लिए अनुमानित लागत कर्नाटक राज्य में सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना के लिए किए गए निविदा प्रक्रियाओं पर आधारित है; महाराष्ट्र राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार खरीद दिशानिर्देश और जीएफआर शर्तों के अनुसार।*

टिप्पणी:

वास्तविक लागत इस परियोजना के तहत प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए कोर नेटवर्क की स्थापना के लिए प्रस्तावित ताजा निविदा प्रक्रिया के परिणाम पर आधारित होगी।

प्रति नेटवर्क लागत = रु. 120 करोड़ / 505 = लगभग रु. 24 लाख

11.2. ड्रोन का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर मानचित्रण

क्र.सं.	उप-गतिविधियां	मूल्य(रु. प्रति गांव) *
1	एसओआई द्वारा ड्रोन उड़ाने का प्रावधान करना	रु. 600
2	डेटा प्राप्त करने के लिए ड्रोन की उड़ान	रु..2500
3	ड्रोन डाटा प्रोसेसिंग : ओआरआई का सृजन और डीईएम	रु. 400
4	प्रारूप निष्कर्षण ,प्रविष्टि और संपर्क	रु. 1100
5.	अंतिम मानचित्र / डेटा तैयार करना; गाँव और एलपीएम मानचित्रों की छपाई	रु. 200
	कुल	**रु. 4800 प्रति गांव**

** स्थानीय श्रमिकों की भर्ती, क्षेत्र के वाहनों को किराए पर लेना / खरीदना और क्षेत्र कार्यों से संबंधित अन्य छोटे आकस्मिक खर्चों सहित एसओआई द्वारा 1, 2 और 4 पर क्षेत्र की गतिविधियों के लिए परिचालन व्यय।कार्यालय, साथ ही क्षेत्र में मानचित्रण गतिविधियों के लिए परियोजना में उपयोग के लिए उपकरणों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उपकरणों हेतु पूंजीगत व्यय। प्रशिक्षित एसओआई डिजिटाइज़र / सर्वेयर की कमी के मामले में फ़ीचर निष्कर्षण कार्य को आउटसोर्स किया जा सकता है (जीएफआर शर्तों के अनुसार)।*

टिप्पणी:

i. *एसओआई ने अपने कर्मचारियों के लिए अनुमानित / अंतिम लागत में परियोजना के काम में तैनात होने वाले वेतन को शामिल नहीं किया।*

ii. *क्षेत्र की गतिविधियों के निष्पादन के लिए आवश्यक जेब खर्चों में से, यात्रा, लॉजिंग, बोर्डिंग, भोजन व्यय, संचार, वाहनों को किराए पर लेना, स्थानीय श्रमिकों को काम पर रखना, ईंधन-स्नेहक आदि केवल शुल्क लिया जाएगा।*

iii. *जेब खर्च के अलावा क्षेत्र सर्वेक्षण गतिविधियों यानी निम्न हैं*

क. एसओआई क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं के टीए और डीआर खर्च,

ख. एसओआई क्षेत्र के सर्वेक्षणकर्ताओं के क्षेत्र में बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय,

ग. फील्ड वाहनों (ईंधन और लुब्रिकेंट सहित) और स्थानीय श्रम या सर्वेक्षण गतिविधियों के लिए सर्वेक्षण खलासी,

iv. खरीद के लिए विविध सामान आइटम हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस, एंट्री लेवल वर्क स्टेशन, एनएएस बॉक्स आदि हैं।

v. एसओआई के स्वामित्व वाले माल के रखरखाव में एसओआई के स्वामित्व वाले उपकरणों की नियमित मरम्मत / कैलिब्रेशन / ब्रेकडाउन मरम्मत, परियोजना गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जीएनएस बेस रिसीवर, जीएनएसएस रोवर्स, टोटल स्टेशन, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिलेटिव ग्रैविमीटर, बीहड़ फील्ड डेटा कलेक्टर, मोबाइल को कवर करता है। वर्कस्टेशन, एंट्री / मिड-लेवल वर्कस्टेशन आदि शामिल हैं।

vi. भारतीय सर्वेक्षण विभाग परियोजना के तहत नियंत्रण केंद्र घटकों और उसके डीआर केंद्र घटकों के लिए कोई लागत शुल्क नहीं लगाएगा।

vii. एसओआई जिओड मॉडल डेवलपमेंट सब-एक्टिविटी पर खर्च करेगा अर्थात इसका खर्च वहन करेगा ।

viii. अनुमानित लागत में एसओआई द्वारा क्यूए (गुणवत्ता आश्वासन) / क्यूसी (गुणवत्ता नियंत्रण) कार्य के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लिया गया है।

ix. अनुमानित लागत में एसओआई द्वारा जीआईएस सॉफ़्टवेयर लागत का शुल्क नहीं लिया गया है।

x. राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए एसओआई द्वारा ट्यूशन , बिल्डिंग या प्रशिक्षण हेतु, अतिथि संकाय शुल्क कुल परियोजना लागत में नहीं लिया गया है।

11.3. कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

क. राष्ट्रीय काय्रक्रम प्रबंधन इकाई *

कुल परामर्शियों की संख्या	एक वर्ष के पायलेट चरण के लिए परामर्शियों की संख्या	ओपीई सहित प्रति माह की दर (रुपये में)
5	2	3.8 **लाख**

ख. राज्य काय्रक्रम प्रबंधन इकाई *

कुल परामर्शियों की संख्या	एक वर्ष के पायलेट चरण के लिए परामर्शियों की संख्या	ओपीई सहित प्रति माह की दर (रुपये मे)
60	10	Rs. 65,000

##	राज्य/ संराक्षे (पायलेट चरण)	एसपीएमयू की परामर्शियों की संख्या
1	हरियाणा	2
2	कर्नाटक	2
3	मध्य प्रदेश	1
4	महाराष्ट्र	2
5	उत्तर प्रदेश	2
6	उत्तराखंड	1

** कार्यक्रम प्रबंधन इकाई 01 जून 2020 से कार्यशील होगी (भर्ती प्रक्रिया के लिए दो महीने का समय होगा)*

11.4. आईईसी गतिविधियां

पायलेट चरण

i. **गांवों की कुल संख्या** : 1,01,097
ii. **आईईसी बजट: रु.. 4 करोड़**
iii. **प्रति गांव लागत** *: **रु.**395

** आईईसी बजट जिला स्तर पर वितरित किया जाएगा (जिले के गांवों को समेकित करके) और जिला स्तरीय निगरानी और समीक्षा समिति आईईसी बजट की पर्यवेक्षण / निगरानी करेगी।*

टिप्पणी : किसी भी कमी को आरजीएसए योजना के आईईसी घटक से पूरा किया जा सकता है

11.5. स्थानिक नियोजन अनुप्रयोग में वृद्धि/ परिष्कार/ सुधार और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का विकास

गतिविधियां	पहला वर्ष
i. जीपीडीपी की तैयारी का समर्थन करने के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के निर्माण हेतु ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा / मैप्स का उपयोग करना/ लाभ उठना। ii. योजना के ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड का विकास और रखरखाव	1.5 करोड़

12. संपत्ति डेटा और नक्शों का भविष्य में अद्यतनीकरण

ग्रामीण आबादी की संपत्ति डेटा के किसी भी भावी अपडेशन और नियमित आधार पर सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

राज्य के संपत्ति डेटा और नक्शे के भविष्य में अद्यतन के लिए तंत्र राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

12.1. संपत्ति डेटा का अद्यतनीकरण

संपत्ति से संबंधित डेटा का अपडेशन नियमित डेटा रखरखाव और राज्य राजस्व विभाग के नियमों और विनियमन के अनुसार परिभाषित अद्यतन नीति के भाग के रूप में किया जाएगा। संपत्ति डेटा को अपडेट करना राज्य के राजस्व विभाग के अधिकारियों की ज़िम्मेदारी होगी।

12.2. नक्शा डेटा का अद्यतनीकरण

सर्वे ऑफ इंडिया परियोजना में प्रयोग किए जाने वाले मानचित्र डेटा अपडेशन (जैसे डेटा अपडेशन, कोर्स नेटवर्क रोवर एफडीसी का उपयोग) के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों और तकनीकों के संचालन और इनके उपयोग पर राज्य के राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। राज्य के संबंधित विभाग परियोजना को संभालने के लिए इन-हाउस क्षमता का निर्माण करेंगे।

12.3. भावी अद्यतनीकरण

एक बार जीआईएस 6.62 लाख गांवों के लिए डेटाबेस को तैयार होने के बाद, राज्य सरकारें भविष्य के सर्वेक्षण करने और जीआईएस डेटाबेस को अपडेट करने के की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। पुन: सर्वेक्षण की अद्यतन करने की आवृत्ति राज्य सरकार द्वारा तय की जाएग

13. तकनीकी गाइडलाइन / दिशानिर्देश

13.1. जीआईएस डेटाबेस का मानकीकरण

सर्वेक्षण के तहत निम्नलिखित डेटा लेयर सृजित की जाएंगी

i. भू -कर संबंधी
ii. परिवहन
iii. भू -भाग की स्थलाकृति
iv. जल विज्ञान
v. आबादी /बस्ती
vi. जल निकास
vii. भूमि उपयोग या भूमि कवर) एलयू /एससी)
viii. रुचि के बिन्दु

13.2. प्रतीक विद्या

सिम्बॉलॉजी/ प्रतीकविद्या को मानक एसओआई सिम्बॉलॉजी और मेटा-डेटा के अनुसार परिभाषित किया जाएगा क्योंकि बीआईएस मानक जीआईएस डेटाबेस के लिए तैयार किया जाएगा।

अनुबंध

अनुबंध I: पायलेट चरण में शामिल गांवों की राज्य वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	कुल गांव	पायलेट चरण में शामिल गांव
1	हरियाणा	7,652	3,826
2	कर्नाटक	33,157	16,580
3	मध्य प्रदेश	55,100	1000
4	महाराष्ट्र	44,137	22,069
5	उत्तर प्रदेश	1,07,242	53,622
6	उत्तराखंड	17,048	4000
		कुल	**1,01,097**

पायलेट चरण में शामिल सीओआरएस

क्र.सं.	राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	*राज्य वार सीओआरएस स्थिति*
1	पंजाब	16
2	राजस्थान	85
	कुल	**101**

अनुबंध II : राज्य वार सीओआरएस स्थिति

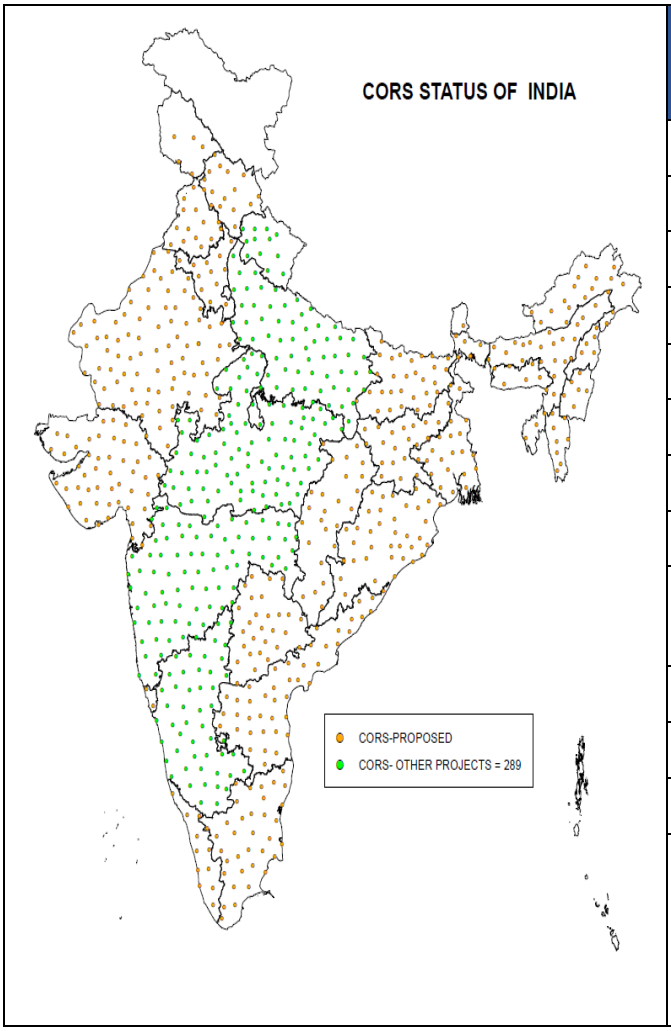

राज्य	सीओआरएस स्टेशनों की संख्या	राज्य	सीओआरएस स्टेशनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	44	मेघालय	6
अरुणाचल प्रदेश	17	मिजोरम	8
असम	23	नागालैंड	5
बिहार	29	ओडिशा	35
छत्तीसगढ़	26	पंजाब	16
गोवा	2	राजस्थान	85
गुजरात	49	सिक्किम	1
हिमाचल प्रदेश	13	तमिलनाडु	35
जम्मू एवं कश्मीर (केन्द्र शासित प्रदेश)	5	तेलंगाना	27
झारखंड	20	त्रिपुरा	3
केरल	11	पश्चिम बंगाल	26
मणिपुर	6		

**** स्रोत : भारतीय सर्वेक्षण विभाग***

सीओआरएस (कोर्स) नेटवर्क की स्थापना के लिए इस तरह योजना बनाई जाएगी ताकि अधिकतम सटीकता प्रदान करने वाले इष्टतम कोर्स नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सुनिश्चित किया जा सके, इस प्रकार राज्य-वार दृष्टिकोण की तुलना में महत्वपूर्ण लागत बचत हो सकती है क्योंकि कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्र बहुत छोटा है। इसके अलावा, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, घने वन क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों, विरल आबादी वाले क्षेत्रों में समर्पित कोर नेटवर्क की योजना नहीं बनाई जाएगी, जहां कोर नेटवर्क सुधार सेवा उपयोग बहुत सीमित होगी वहां इस दौरान सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा या तो अनिवार्य गतिविधि के तहत या विशिष्ट उपयोगकर्ता आवश्यकताओं पर मामले के आधार पर और इन क्षेत्रों को स्थानीयकृत कोरस नेटवर्क कवरेज एकल आधारभूत कोर स्टेशन आदि से सृजित किया जा सकता है।

अनुबंध III : राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, उपयोगकर्ता लाभार्थियों या निजी पक्षों द्वारा वित्त पोषित घटक

क. राज्य सरकार

i. सतत रूप से परिचालन संदर्भ स्टेशनों के लिए क्षेत्र / स्थल नेटवर्क स्थापना सहित सर्वे ऑफ इंडिया के लिए कोर्स उपकरणों की विद्युत और भौतिक सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी

ii. फील्ड वाहनों को किराये पर लेना, स्थानीय मजदूरों को काम पर रखना, फील्ड टीमों के लिए आवास आदि।

iii. सफेद पाउडर (चूना आदि) का उपयोग करके क्षेत्र में पार्सल / संपत्तियों की ग्राउंड मार्किंग

iv. भूमि सत्यापन (ग्राउंड-ट्रुथिंग), लैंड पार्सल मानचित्रों का सत्यापन राज्य के राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा

v. अंतरिम नक्शा / रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एसओआई और जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा जीपी संपत्ति (कर) रजिस्टर (जहां भी लागू हो) का डिजिटलीकरण।

vi. स्टोर, होस्ट और स्वामित्व योजना के तहत सृजित डेटा अपडेट करने के लिए; राज्य सरकार या अद्यतन के उद्देश्य को पंचायत द्वारा तय की गई आवृत्ति के अनुसार फिर से सर्वेक्षण किया जा सकता है।

ख. भारतीय सर्वेक्षण विभाग

i. डाटा प्रोसेसिंग: मानव रहित हवाई वाहन छवियों का पोस्ट प्रोसेसिंग भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) द्वारा एसओआई क्षेत्रीय केंद्र के भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला में किया जाएगा। एसओआई उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और डेटा प्रोसेसिंग के लिए उनकी जीआईएस लैब का उपयोग करेगा।

ii. ग्राउंड-ट्रुथिंग और स्थलाकृतिक विशेषताओं की मान्यता, जो ऑर्थो-रेक्टिफ़ाइड छवियों से ली गई है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा।

ग. एनआईसी- जीआईएस

i. स्वामित्व योजना के तहत सृजित किया गया डीईएम और जीआईएस डेटाबेस को स्टोर (यदि आवश्यक हो), होस्ट और अपेडेट (आवश्यकता के अनुसार) करना।

अनुबंध IV: परामर्शी के लिए संदर्भ शर्तें

I. राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

<u>प्रमुख उत्तरदायित्व</u>

i. पीएमयू की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।
ii. परियोजना की प्रगति पर नज़र रखना, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों को परियोजना की प्रगति के बारे में सूचित करना।
iii. समग्र कार्यान्वयन और हितधारक के बीच समन्वय जिसमें जागरूकता और हैंडहोल्डिंग समर्थन की सुविधा भी शामिल है
iv. राज्यों की सहायता और सर्वे ऑफ इंडिया को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने, राज्यों को निधि संवितरण, परियोजना समय की निगरानी आदि में सहायता करना
v. कोर्स नेटवर्क की स्थापना और ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण की निगरानी के लिए सर्वे ऑफ इंडिया और राज्यों के साथ सहयोग करना।
vi. योजना के डैशबोर्ड की ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग के विकास और रखरखाव के लिए कार्यात्मक इनपुट प्रदान करना
vii. परियोजना की प्रगति के सत्यापन और मान्यता के माध्यम से योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन
viii. राज्यों से साझाकरण और शिक्षा, अच्छी प्रथाओं का प्रलेखन
ix. ड्रोन सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए लोगों को जुटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आईईसी गतिविधियों का समन्वय करना। इसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस / सप्ताह के दौरान अभियान चलाना। इनमें सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अच्छी प्रथाओं और अन्य राष्ट्रीय अभियानों का प्रसार शामिल है।
x. अन्य अनुप्रयोगों के बीच ग्राम मानचित्र अनुप्रयोग में जीपीडीपी की तैयारी का समर्थन करने के लिए स्थानिक विश्लेषणात्मक उपकरणों को विकसित करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के तहत बनाए गए डिजिटल स्थानिक डेटा / नक्शे का लाभ उठाने के लिए एनआईसी-जीआईएस डिवीजन और एनआरएससी भुवन के साथ समन्वय।
xi. अन्य प्रसांगिक गतिविधि ।

शैक्षणिक योग्यता

- बीई/ बी. टैक / प्रसांगिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री

अनुभव

- 6 से 10 वर्ष का

क्षेत्र का ज्ञान / कौशल (अवश्य हो)

- आईटी परियोजना प्रबंधन के कार्य या आईटी पीएमयू पीएमओ सेटअप का अनुभव/
- ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, जीआईएस का उपयोग और संबंधित प्रौद्योगिकी का ज्ञान ।

क्षेत्र का ज्ञान / कौशल (वरीयता)

- नवीनतम जीआईएस सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों का ज्ञान
- भू-स्थानिक डेटासेट और डेटाबेस के क्षेत्र में अनुभव
- ओपन सोर्स मैप्स / शेप फाइलों आदि के स्रोतों के उपयोग करने की जानकारी।

II. राज्य कार्यक्रम प्रबंध इकाई

प्रमुख उत्तरदायित्व

i. नित्यप्रति कार्यक्रम प्रबंधन गतिविधि के लिए जिम्मेदार।
ii. परियोजना की प्रगति पर नज़र रखना, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों को परियोजना की प्रगति के बारे में सूचित करना।
iii. संपूर्ण कार्यान्वयन और राज्यों और सर्वे ऑफ इंडिया के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता।
iv. ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण की प्रगति के मूल्यांकन और निगरानी में राज्य के राजस्व विभाग का समर्थन करना।
v. जीआईएस डेटाबेस में शामिल किए जाने के लिए सूचना और अन्य माध्यमिक जानकारी को समेकित करना।
vi. मानचित्रों के ग्राउंड-ट्रूटिंग में समर्थन/ सहायता।
vii. राज्य और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और कार्यान्वयन समय सीमाओं की निगरानी करने की सुविधा प्रदान करना।

viii. योजना के मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में नियमित अपडेट के माध्यम से परियोजना की प्रगति की रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करना।

ix. नवीनतम जीआईएस सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों और ओपन सोर्स मैप्स / आकृति फ़ाइलों आदि के स्रोतों के उपयोग करने का वांछित ज्ञान।

x. अन्य कोई प्रसांगिक गतिविधि।

शैक्षणिक योग्यता

- कोई भी स्नातक

अनुभव

- 1 से 3 वर्ष

अनुबंध V: नमूना संपत्ति डेटा

Sirsi Abadi Area Attribute Table

LGD/UID	FID	Sub_Type	OwnerType	OwnerName	BPL	OLD_AG_PEN	WIDOW_PENS	DISABILITY	PMAY_IAY	MGGBY_PLOT	DRINKING_W	Toilet	Plot Type	OLD_AG_P_1	WIDOW_PE_1	DISA_PENS	Total_Area	Builtup_Area	Open_Area
592800001	1	ABADI	PRIVATE	SHISHPAL S/O ISHAM SINGH	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	974.26	283.914	690.346
592800002	2	ABADI	PRIVATE	TEJPAL SINGH S/O PRITHVI SINGH	NO	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	BHAGWANTI DEVI	NO	NO	363.106	167.956	195.150
592800003	3	ABADI	PRIVATE	MAHIVEER S/O PRITHVI SINGH	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PLOT	NO	NO	NO	318.155	19.456	298.699
592800004	4	ABADI	PRIVATE	RAJPAL S/O PRITHVI SINGH	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	CATTLE YARD	NO	NO	NO	279.743	63.828	215.915
592800005	5	ABADI	PRIVATE	JOGINDER S/O SHRI CHAND	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	141.645	135.556	6.089
592800006	6	ABADI	PRIVATE	SHISH PAL S/O PREM SINGH	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	BUILDING	NO	SUKH DEVI	NO	101.57	101.570	0.000
592800007	7	ABADI	PRIVATE	HANSRAJ S/O PREM SINGH	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	101.043	70.404	30.639
592800008	8	ABADI	PRIVATE	TEJPAL S/O SULTAN SINGH	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	CATTLE YARD	NO	NO	NO	263.877	75.343	188.534
592800009	9	ABADI	PRIVATE	NARESH S/O SUBE SINGH	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	CATTLE YARD	NO	NO	NO	276.353	32.627	243.726
592800010	10	ABADI	PRIVATE	SUDESH KUMAR S/O LIJJA RAM	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	267.19	134.065	133.125
592800011	11	ABADI	PRIVATE	ROSHAN LAL S/O RAMANAND	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	289.083	141.044	148.039
592800012	12	ABADI	PRIVATE	PARMOD S/O BIR SINGH	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	56.314	56.314	0.000
592800013	13	ABADI	PRIVATE	SATYAWAN S/O KEHER SINGH	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	CATTLE YARD	NO	NO	NO	56.655	13.997	42.658
592800014	14	ABADI	PRIVATE	SATPAL S/O NAKAL RAM	YES	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	BUILDING	NO	NO	RAHUL	100.331	76.122	24.209
592800015	15	ABADI	PRIVATE	SANDEEP KUMAR S/O GYANI RAM	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	90.833	90.833	0.000
592800016	16	ABADI	PRIVATE	PURAN S/O SINGH RAM	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	211.499	125.542	85.957
592800017	17	ABADI	PRIVATE	RAM KUMAR S/O LAL SINGH	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	CATTLE YARD	NO	NO	NO	94.813	87.439	7.374
592800018	18	ABADI	PRIVATE	VASHU DEV S/O RAMDHARI	YES	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	DARSHANI DEVI	NO	NO	98.673	79.767	18.906
592800019	19	ABADI	PRIVATE	RAMDIYA S/O NEKI RAM	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	PLOT	NO	NO	NO	148.251	148.251	0.000
592800020	20	ABADI	PRIVATE	RAMESHWAR S/O JAGDISH	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	89.656	76.372	13.284
592800021	21	ABADI	PRIVATE	RAM KUMAR S/O LAL SINGH	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	BUILDING	RAM KUMAR	NO	NO	78.523	49.011	29.512
592800022	22	ABADI	PRIVATE	KRISHAN S/O KANSHI RAM	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	93.649	93.649	0.000
592800023	23	ABADI	PRIVATE	DESH RAJ S/O GENDHA RAM	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	BUILDING	NO	NO	NO	57.292	45.975	11.317
592800024	24	ABADI	PRIVATE	NIRMAL S/O GENDHE	YES	YES	NO	NO	NO	YES	YES	YES	BUILDING	NIRMAL & ROSHNI	NO	NO	108.303	91.848	16.455
592800025	25	ABADI	PRIVATE	GULAB SINGH S/O SUKAN CHAND	NO	NO	YES	NO	NO	YES	YES	YES	BUILDING	NO	SUKAN CHAND & SAVITRI DEVI	NO	160.989	87.921	73.068

अनुबंध VI: सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दी गई गतिविधि वार समय-सीमा

	Name	Duration	Start	Finish
1	**Establishment of CORS Network**	**285 days**	**1/6/20 8:00 AM**	**12/3/21 5:00 PM**
2	Tendering for Outsourcing on Tunkey Basis	60 days	1/6/20 8:00 AM	30/7/20 5:00 PM
3	Site Selection and Ground Recce	30 days	1/6/20 8:00 AM	30/6/20 5:00 PM
4	Approval of Site owner	30 days	1/7/20 8:00 AM	30/7/20 5:00 PM
5	Monumentation	60 days	15/8/20 8:00 AM	13/10/20 5:00 PM
6	Installation and Commissioning	120 days	14/10/20 8:00 AM	10/2/21 5:00 PM
7	Integration with NSRF	30 days	11/2/21 8:00 AM	12/3/21 5:00 PM
8	Award of Work and Contract Signing	15 days	31/7/20 8:00 AM	14/8/20 5:00 PM
9	**Large Scale Mapping Using Drone**	**304 days**	**1/6/20 8:00 AM**	**31/3/21 5:00 PM**
10	**Drone procurement**	**60 days**	**2/6/20 8:00 AM**	**31/7/20 5:00 PM**
11	Tendering & Award	60 days	2/6/20 8:00 AM	31/7/20 5:00 PM
12	**Pre Survey Activities**	**245 days**	**1/6/20 8:00 AM**	**31/1/21 5:00 PM**
13	Permission & Clearances from DGCA & MoD	15 days	1/6/20 8:00 AM	15/6/20 5:00 PM
14	Acquisition of Available Records and Maps provided by State Govt	183 days	1/6/20 8:00 AM	30/11/20 5:00 PM
15	Scanning of Available Records and Maps provided by State Govt	214 days	1/6/20 8:00 AM	31/12/20 5:00 PM
16	Legal Notification of Abadi Area Survey	200 days	15/6/20 8:00 AM	31/12/20 5:00 PM
17	Legal Notice for conducting Property Survey to Gram Sabha	201 days	21/6/20 8:00 AM	7/1/21 5:00 PM
18	Campaign to sensitize villagers about project benefits	221 days	21/6/20 8:00 AM	27/1/21 5:00 PM
19	To Organize Gram Sabha	215 days	28/6/20 8:00 AM	28/1/21 5:00 PM
20	Marking of Property Boundaries with Chuna Lines	215 days	1/7/20 8:00 AM	31/1/21 5:00 PM
21	**Survey Activities**	**288 days**	**1/6/20 8:00 AM**	**15/3/21 5:00 PM**
22	Provisioning of Ground Control Points for Flying	245 days	1/6/20 8:00 AM	31/1/21 5:00 PM
23	Mission Planning for Drone Flying	222 days	1/7/20 8:00 AM	7/2/21 5:00 PM
24	Drone Flying	228 days	2/7/20 8:00 AM	14/2/21 5:00 PM
25	Drone Data Processing	228 days	9/7/20 8:00 AM	21/2/21 5:00 PM
26	Feature Extraction	234 days	10/7/20 8:00 AM	28/2/21 5:00 PM
27	Attribute Entry and Linking with Features	234 days	10/7/20 8:00 AM	28/2/21 5:00 PM
28	Numbering of Properties	234 days	10/7/20 8:00 AM	28/2/21 5:00 PM
29	Ground Validation of Topographical Features	235 days	15/7/20 8:00 AM	6/3/21 5:00 PM
30	Ground Validation of Properties	244 days	15/7/20 8:00 AM	15/3/21 5:00 PM
31	**Post Survey Activities**	**248 days**	**25/7/20 8:00 ...**	**29/3/21 5:00 PM**
32	Issue of Notification for Joint Verification of Ownership	239 days	25/7/20 8:00 AM	20/3/21 5:00 PM
33	Property ownership Adjudication	236 days	30/7/20 8:00 AM	22/3/21 5:00 PM
34	Issue of Notification to provide results of Adjudication	237 days	1/8/20 8:00 AM	25/3/21 5:00 PM
35	Resoution Post Survey Objections	235 days	6/8/20 8:00 AM	28/3/21 5:00 PM
36	Post objection finalization of land parcel Maps	235 days	7/8/20 8:00 AM	29/3/21 5:00 PM
37	**Delivery of Final Ouputs**	**234 days**	**10/8/20 8:00 ...**	**31/3/21 5:00 PM**
38	OrthoRectified Images (ORI)	234 days	10/8/20 8:00 AM	31/3/21 5:00 PM
39	GIS Database	234 days	10/8/20 8:00 AM	31/3/21 5:00 PM
40	Digital Elevation Model	234 days	10/8/20 8:00 AM	31/3/21 5:00 PM
41	Property Card Data (RoR)	234 days	10/8/20 8:00 AM	31/3/21 5:00 PM
42	Hardcopies Maps (4 set per village)	234 days	10/8/20 8:00 AM	31/3/21 5:00 PM
43	**Training & Capacity Building**	**259 days**	**15/6/20 8:00 ...**	**28/2/21 5:00 PM**
44	Phase I	200 days	15/6/20 8:00 AM	31/12/20 5:00 PM
45	Phase II	234 days	10/7/20 8:00 AM	28/2/21 5:00 PM

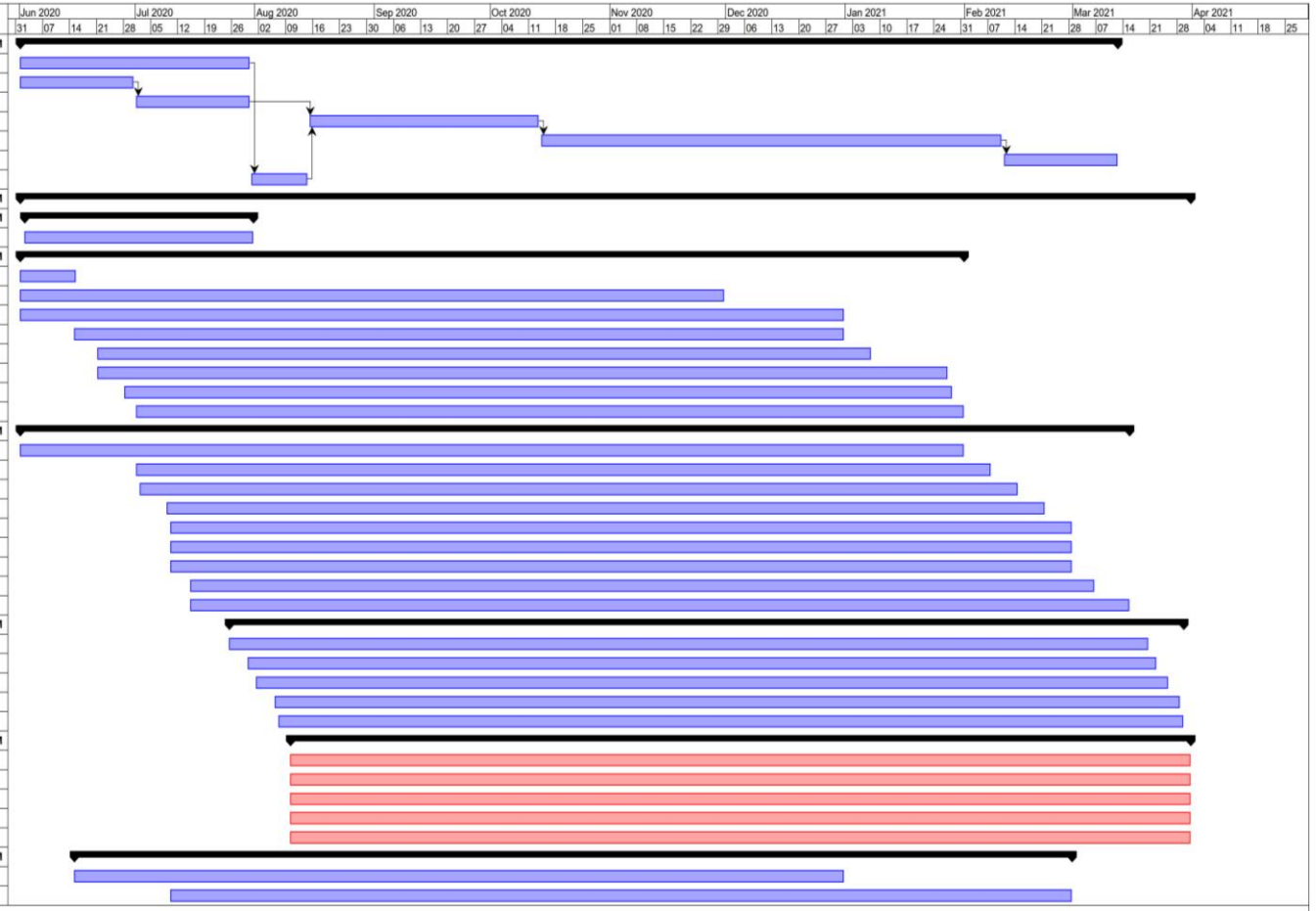

अनुबंध VII : एसओपी करनाल जिला, हरियाणा द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण के लिए तैयार

Step-1

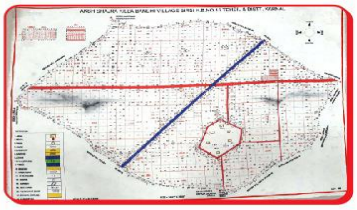

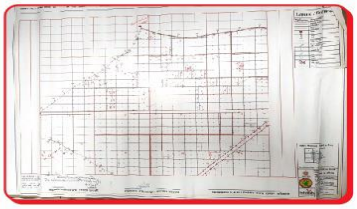

किसी भी गांव / Estate को लाल डोरा मुक्त करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें उस गांव की मशावी तथा शिजरा Survey of India को Scanning करने के लिए सौंपना है, ताकि Survey of India उसे स्कैन कर सके। इस बात का ध्यान रखे कि Scaning करवाने से पहले हमें लाल डोरे की सीमा तक के ततीमाजात जो हारट्रौन द्वारा हमें सफेद मशावी सौंपी गई थी उस पर काटे जा चुके है।

Step-2

सर्वेरी पत्थर

सेहदा

Survey of India इस्तेमाल के पत्थरों यानि मुस्ततील मौकों की सहायता से संबंधित गाँव की बाउंडरी को कायम करेगें तथा अपने Cordinates स्थापित करेगें जो Cordinates Survey of India द्वारा दिए गये है उनको राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सर्वेरी पत्थरों की सहायता से पैमाईश करके मिलान करना है ताकि उनमें कोई अंतर ना रहे तथा उनकी जांच पड़ताल सुनिश्चित हो सके। Cordinates जांच पड़ताल होने उपरान्त Survey of India विभाग के कर्मचारी लाल डोरा को कायम करेगें तथा फिरनी को भी कायम करेगें। अपनी सन्तुष्टि के लिए राजस्व विभाग को भी पैमाईश करके लाल डोरा तथा फिरनी को कायम कर लेना है तथा दोनों विभागों द्वारा कायम किए गए मौका मिलान होने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।

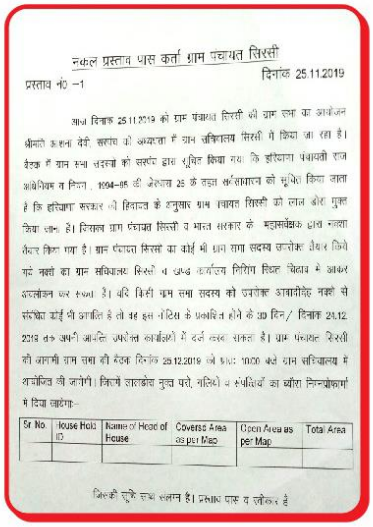

Step-3
नकल प्रस्ताव पास कर्ता ग्राम पंचायत सिरसी
प्रस्ताव नं0 –1
दिनांक 25.11.2019
आज दिनांक 25.11.2019 को ग्राम पंचायत सिरसी की ग्राम सभा का आयोजन श्रीमति आशना देवी, सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सचिवालय सिरसी में किया जा रहा है। बैठक में ग्राम सभा सदस्यों को सरपंच द्वारा सूचित किया गया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम व नियम, 1994–95 की उपधारा 26 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार की हिदायत के अनुसार ग्राम पंचायत सिरसी को लाल डोरा मुक्त किया जाना है। जिसका ग्राम पंचायत सिरसी व भारत सरकार के महासर्वेक्षक द्वारा नक्शा तैयार किया गया है। ग्राम पंचायत सिरसी का कोई भी ग्राम सभा सदस्य उपरोक्त तैयार किये गये नक्शे का ग्राम सचिवालय सिरसी व खण्ड कार्यालय निसिंग स्थित चिड़ाव मे आकर अवलोकन कर सकता है। यदि किसी ग्राम सभा सदस्य को उपरोक्त आबादीदेह नक्शे से संबंधित कोई भी आपत्ति है तो वह इस नोटिस के प्रकाशित होने के 30 दिन/ दिनांक 24.12.2019 तक अपनी आपत्ति उपरोक्त कार्यालयों में दर्ज करवा सकता है। ग्राम पंचायत सिरसी की आगामी ग्राम सभा की बैठक दिनांक 25.12.2019 को प्रातः 10:00 बजे ग्राम सचिवालय में आयोजित की जायेगी। जिसमें लालडोरा मुक्त घरो, गलियो व संपत्तियों का ब्यौरा निम्नप्रोफार्मा में दिया जायेगा:–
Sr. No. | House Hold ID | Name of Head of House | Coversd Area as per Map | Open Area as per Map | Total Area
जिसकी सूचि साथ संलग्न है। प्रस्ताव पास व स्वीकार है
पंचायत विभाग द्वारा पंचायती राज एक्ट 1994-95 की धारा 26 के अधीन दी हुई शक्तियों का प्रयोग करके अन्दर आबादी के नक्शों को तैयार करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा।

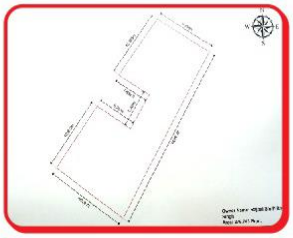

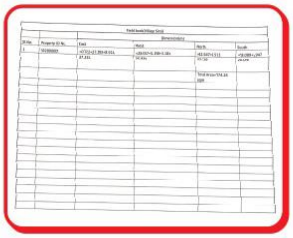

Step-4
Survey of India द्वारा Drone Flying करके अन्दर आबादी के Street/Plots/Buildings/Vacant Land/ Govt.Land etc. की मैपिंग की जाएगी तथा इसके लिए पंचायती विभाग द्वारा सफैदी लगाने का कार्य किया जाएगा। Survey of India विभाग द्वारा Drone Mapping करने उपरान्त जो Property Identified हुई है । उसके कोड नम्बर,नक्शा व फिल्ड बुक प्रथम चरण के लिए दिये जाऐगें । Objection आने से पहले का समय ।

Step-5

Drone Mapping के बाद Survey of India द्वारा जो Map ID No. सहित पंचायत विभाग को सौंपा जाऐगा इस डंच की सहायता से पंचायत विभाग Ground Level पर जो Street/ Plots/Buildings/ Vacant Land/Govt. Land ect है । उससे मिलान किया जाएगा अर्थात उपरोक्ता पर कौन- कौन व्यक्ति काबिज है। तथा उस ID No. की जितनी भी सीमायें है। उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन-कौन व्यक्ति लगता है का विवरण तैयार किया जाएगा तथा इसकी फिल्ड बुक भी तैयार की जाएगी ।

"उपरोक्त कार्य पंचायत विभाग द्वारा पूर्ण करने के उपरान्त ग्राम आम जन से आपत्तियां माँगी जाएगी। जिसकी समय सीमा 30 दिन की होगी । आपत्तियां निम्न प्रकार की हो सकती है "

1. किसी व्यक्ति का नाम गलत दर्ज हो - स्वयं, पिता व पति का
2. किसी को अपनी सीमाओ पर ऐतराज हो सकता है।
3. किसी व्यक्ति को अपनी ID No. पर आपत्ति हो सकती है यानि सयुक्त परिवार को एक ID No. दिया गया हो और परिवार के सदस्य अलग-अलग करवाना चाहते हो।
4. किसी व्यक्ति को सयुंक्त परिवार की ID No. में शामिल न किया गया हो ।
5. किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्रफल पर भी ऐतराज हो सकता है।
6. किसी ID पर कब्जा दो य दो से अधिक लोगो का हो और नाम एक का दर्ज हो गया हो।
7. कब्जा किसी व्यक्ति का हो ओर व्यक्ति का दर्ज हो गया हो इत्यादि।
8. अगर कोई विवाद Civil Court में लम्बित हैं या Deputed Stay हैं तो उस Property का ID No. देकर Deputy Property चला जा सकता है तथा निर्णय होने उपरान्त उसका निपटारा किया जाये।

Step-6

ग्राम आम सभा

Objection को सुनकर ग्रांम सभा द्वारा निर्णय किया जाएगा, निर्णय उपरान्त यदि कोई त्रुटि पाई जाती है। तो ग्रांम पंचायत अपने रिकार्ड में तथा Survey of India के नक्शे में तथा रिकार्ड जो उन द्वारा तैयार किया जा रहा है। उसमें दुरूस्ती करवाएगी । अन्तिम निर्णय का अधिकार सम्बन्धित कलैक्टर को दिया गया हैं

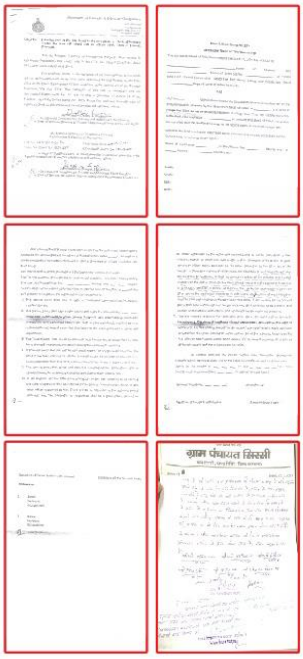

Step-7

Objection का निपटारा होने के बाद पंचायत विभाग संबंधित लोगों के नाम Certifcate/ Deed of title/ Ownership करवाने के लिए पंचायत विभाग के माध्यम से प्रस्ताव Finanacial Commissioner, Revenue & Additional Cheif Secretary to Govt. of Haryana, Revenue & Disaster Management Deptt. Chandigarh को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। उनके आदेश प्राप्त होने के उपरान्त पंचायत विभाग प्रस्ताव पास करके प्रस्ताव की सलंगन करके तथा जो रिकाई फाईनल हुआ है, उसके अनुसार संबंधित पक्षों के Certificate/ Deed of Title/ Ownership सम्बन्धित तहसील/ उपतहसील में रजिस्टर्ड करवाऐगें। डीड रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो पंचायत विभाग द्वारा अधिकृत होगा वही डीड रजिस्टर्ड करवा सकता है।

Step-8

जो लाल डोरे का Survey of India तथा पंचायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है उसे पूर्ण होने के उपरान्त पंचायत विभाग द्वारा Maintain किया जाएगा तथा आगे जो भी फेर-बदल होगा उसका रिकार्ड भी Update पंचायत विभाग अपने स्तर पर करेगा।

पंचायती राज

पंचायती राज मंत्रालय

भारत सरकार